



श्रावकों के बारह व्रत।

श्रीमद् जैनाचार्य पूज्यश्री १००८ श्री जवाहीरलालजी
महाराजके सुशिष्य पण्डितवर मुनिश्री श्रीमल्लजी
महाराज द्वारा विरचित



प्रकाशक—

शा. प्रेमराज गणपतराज
रगवाला मारकेट,
अहमदाबाद



मूल्य ०-४-०

प्रकाशक

शा प्रेमराज गणपतराज
अहमदाबाद

प्रकाशकने सर्वाधिकार स्वयंदिन रफ्त्या है

वीरनिर्वाण सं २५६४

विक्रम सं १९९५

प्रथमावृत्ति २०००

मुद्रक

केशरलाल साकळ्यद शाह
घी धीरविजय प्रोटींग प्रेस
रतनपोळ सागरनी छडको
: अहमदाबाद :

दो शब्द

इस जगत् में मनुष्य शरीर को प्राप्त जिसने सम्यक्त्व रूपी रत्न को नहीं प्राप्त किया उस का जन्म निरर्थक है यह आर्हत आगमका शुभ सन्देश है। सम्यक्त्वरूपी रत्न को प्राप्त कर के जो पुरुष श्रावको के गारह व्रतो को अङ्गीकार करता है वह अपने इस लोक तथा परलोक दोनों को कल्याणमय बनाता है। यह मार्ग केवल ज्ञानी तीर्थङ्करोंद्वारा उपदेश किया गया है। पूर्व समय में आनन्द कामदेव आदि बहुत श्रावकोंने इस मार्ग को सेवन कर के असंख्य कल्याण को प्राप्त किया है। परन्तु आज कल इसको धारण और पालन करने वाले पुण्यात्मा नीव कम देखने में आते हैं। प्रथम तो मोह के उदय में आज कल इस मार्ग की ओर मनुष्यों की प्रवृत्ति ही नहीं होती है और यदि महापुरुषों के उपदेश तथा पुण्य के उदय से किसी की प्रवृत्ति होती भी है तो श्रावको के गारह व्रत और उन के अतिचारों की व्याख्या में व्याख्याताओं के मतभेद होने के कारण चित्त में सन्देह हो जाता है जिस से उस पुरुष का उत्साह गिर जाता है।

हमारे अहमदाबाद निवासियों के परम सौभाग्य से श्रीमद् जैनाचार्य पूज्य श्री १००८ श्रीजगदहिरलालजी महाराज का अहमदाबाद में सन् १९९६ के साल में चातुर्मास्य हुआ। पूज्य

श्री की सेवा में उन के गुरुशिष्य मुनिश्री श्रीमल्लजी महाराज भी वृत्तोन्मुख थे। अतः हमने मुनिश्री से शास्त्रानुसार निष्पन्न दृष्टि से श्रावणे के गारह व्रतों की व्याख्या करने की प्रार्थना की। मुनिश्रीने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर के परिश्रम के साथ इस ग्रन्थ को तैयार किया। इस कार्य में पण्डित अम्बिकादत्तजी ओझा व्याख्याचार्य का भी सहयोग था। फलतः इस ग्रन्थ को मुद्रित कराकर जनता की सेवा में अर्पण करने का निश्चय किया गया। यद्यपि यह पुस्तक बिना कीमत भी ग्राह्य होती थी तथापि ऐसा करने से पुस्तक का महत्त्व घट जाता है और जनता उसे बिना कीमत का समझकर लाभ नहीं उठाती किन्तु उस में उपेक्षा करती है इस लिये लागत दाम रख कर इस का प्रचार करने का निश्चय किया गया है। इस पुस्तक की कीमत के जो पैसे होंगे उनसे भी फिर कोई दूसरी उपयोगी पुस्तक छपाकर जनता की सेवा में अर्पण करने का विचार है।

श्रीसचसेवक,

प्रेमराज गणपतराज

रंगवाला मारकेट अहमदाबाद

भूमिका

यह ससार दुःखका मूल है। जो प्राणी इसमें आसक्त हैं वे सभी दुःखी हैं। छोटे प्राणीसे लेकर बड़े प्राणीतक सभीको आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक ताप पीडा देते हैं। अग्निसे ताप ही उत्पन्न होता है शीत उत्पन्न नहीं होती इसीतरह इस जगत्से दुःखही उत्पन्न होता है शान्ति या सुख नहीं। बीजके समानही अङ्कुरकी उत्पत्ति होती है, बटके बीजसे बटकाही अङ्कुर उत्पन्न होता है दूसरे वृक्षका अङ्कुर नहीं उत्पन्न होता इसीतरह इस दुःखमय ससारसे दुःखही उत्पन्न होता है सुख नहीं। अतः इस अनित्य तथा दुःखमय ससारसे सुखकी आशा करना मूर्खता है। साधारण मनुष्य समझता है कि राजा महाराजा और श्रेष्ठ साहूकार आदि बड़े बड़े धनवान् इस जगत्में सुखी हैं परन्तु यह उसका भ्रम है अपने सुख दुःखका अनुभव अपने आपही क्रिया जाता है दूसरा व्यक्ति दूसरेके सुख दुःखका अनुभव नहीं करसकता है। धनवान्के सुख दुःखका अनुभव करनेवाले धनवान् पुरुष ही है साधारण पुरुष नहीं, वे धनवान् चिन्ताके मारे व्यग्र देखे जाते हैं, कोई रोगी कोई शोकपीडित तथा कोई वैरागिसे जलते हुए नजर आते हैं। वे पूछने पर अपनेको भारी दुःखी बताते हैं अतः न धनमें सुख है और न स्त्री पुत्र

और पशु आदिमें है क्योंकि वही मनुष्य जब किसी दिन उस परिस्थिति पर पहुँच जाता है जिसमें वह पहले सुखकी कल्पना करता था तब वह उससे भी सन्तुष्ट नहीं होता किन्तु उसमें सुख न देखकर उससे भी उग्रपद पानेका वह प्रयत्न करता है। जैसे मरमरीचिकामें जल नहीं होता परन्तु दूरसे देखने पर वह चलती हुई अनेक तरङ्गोंसे युक्त जलसमुद्रके समान दीखती है उसीतरह ससारमें वास्तविक सुख नहीं है परन्तु अज्ञानान्ध प्राणियोंको वह सुखमय प्रतीत होता है। जैसे पित्त-रोगसे दूषित नेत्रवाला प्राणी सूर्य चन्द्रमा और शंखको पीतवर्ण देखता है इसीतरह मजल मोहके उदयसे मोहित प्राणी दुःखरूप ससारको सुखरूप देखते हैं। अतएव वे सुखकी प्राप्तिके लिये अनादि कालसे अविश्रान्त परिश्रम करते चले आ रहे हैं परन्तु उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। यदि मृगतृष्णाके जलसप्यास बुझे तो सासारिक वस्तुसे सुखपानेकी इच्छा भी पूरी हो, परन्तु मृगतृष्णाके पीछे दौड़नेपर जैसे गर्मके कारण प्यास और अधिष्ण बढ़ती है इसीतरह सासारिक पदार्थोंके पीछे पड़ने पर उनमें और अधिक तृष्णाही बढ़ती है शान्ति या सुख नहीं मिलता है। वस्तुतः सासारिक पदार्थोंसे सुख पानेकी इच्छा करना बुधैत्रकी चिकित्साके द्वारा रोगनिवृत्तिकी इच्छाके समान ही अनर्थका उत्पादक है अतः सासारिक पदार्थोंमें सुखकी इच्छाको छोड़कर ससाररूपी भयङ्कर व्याधिको शान्त करनेके लिये विवेकी पुरुषको वीतरागके शास्त्रके शरणमें आना चाहिये।

वीतरागका शास्त्रही संसाररूपी व्यापिको शान्त करनेमें समर्थ अव्यर्थ महौषध है। इसके सेवनसे जीव इस दुःखमय ससार सागरसे पार होकर अक्षय और अनन्त सुखका भाजन होता है। सासारिक दुःखोकी शान्ति के लिये इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय भी इस त्रिलोकमें नहीं है। जगत् के समस्त पदार्थों को केवल ज्ञानके द्वारा हस्तामलम्बत् प्रत्यक्ष देखनेवाले परमकृपालु सर्वज्ञ प्रभुने सासारिक तापसे पीडित प्राणियोंको दुःखसे मुक्त करके अक्षय मोक्षधाम में पहुँचाने के लिये आर्हत आगमोका कथन किया है इस लिये जो प्राणी इस आगम के शरणमें आकर इसके उपदेशके अनुसार आचरण करते हैं वे अवश्य सत्र दुःखसे मुक्त होकर नित्य और सत्य सुखको प्राप्त करते हैं।

यद्यपि यह तीर्थङ्करोक्त आगम जीवको दुःखसे पार कर अक्षय मोक्षधाममें पहुँचानेवाला है यह ध्रुव सत्य है तथापि प्रबल पुण्यके उदय के बिना जीवकी इसमें श्रद्धा उत्पन्न होना सम्भव नहीं है अतः जिस प्राणीकी इस आगममें श्रद्धा भक्ति है उसे पुण्यात्मा समझना चाहिये।

इस तीर्थङ्करोक्त आगममें श्रद्धा रखनेवाले जो पुरुष उच्चकोटिके पुण्यात्मा हैं उनके लिये शास्त्रकारने पाँच महाव्रतों को पालन करनेका उपदेश किया है अतः शास्त्रानुसार पञ्चमहाव्रतोंको पालन करनेवाले महात्मा अनुकरणीय हैं उनके दर्शनसे

भी महान् अभ्युदयकी प्राप्ति होती है परन्तु जो पुरुष मध्यम श्रेणीके हैं और गृहस्थ जीवनमें ही अपना काल व्यतीत करना चाहते हैं उनके लिये शास्त्रकारने श्रावकोके वारह व्रतों के पालन करनेका आदेश किया है। अतः शास्त्रोक्त रीतिसे श्रावको के वारह व्रतोंको पालन करनेवाले पुरुषों की चित्तवृत्ति शुद्ध हो जाती है और वे काल पाकर साधुओंके पाच महाव्रतों के धारण करनेके योग्य भी हो जाते हैं। पश्चात् वे पाच महाव्रतोंको धारण और पात्रन करके परमपद या मोक्षको प्राप्त करते हैं इसमें कुछभी संशय नहीं है।

जो पुरुष श्रावकोके वारह व्रतोंको धारण करनेमें भी समर्थ नहीं हैं उन मन्द अत्रिकारियोंके लिये शास्त्रकारने श्रावक होनेका उपदेश किया है अतः श्रावकपनेको धारण और पालन करके जीव काल पाकर श्रावको के वारह व्रतोंके धारण और पालन करने योग्य भी हो जाता है फिर वह क्रमशः पाच महाव्रतधारी होकर मोक्षगामी होता है।

जो पुरुष श्रावकपनको भी ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं है वह तो मिथ्यादृष्टि है, वह ससारमें आसक्त है वह कदापि कल्याणका भाजन नहीं हो सकता है। अतः मनुष्यको श्रावक होकर वारह व्रतोंको धारण करना चाहिये और इसके पश्चात् पाञ्च महाव्रतधारी होना चाहिये यही कल्याणका मार्ग शास्त्रमें वर्णित है दूसरा नहीं।

(श्रावककी व्याख्या)

“शृणोति जिनवचनमिति श्रावकः” जो जिन भगवान्के वचनोंको सुनता है उसे ‘श्रावक’ कहते हैं। यद्यपि सभी जान चाहे प्राणी जिन भगवान् के वचनोंको सुनते हैं तथापि जो श्रद्धापूर्वक तथा कल्याणका मार्ग समझकर जिन भगवान् के वचनों को सुनता है वही श्रावक है दूसरे नहीं। अतएव कहा है कि “योऽद्यभ्युपेतसम्यक्त्वो, यतिभ्यः प्रत्यह कथा। शृणोति धर्मसम्प्रदा ममौ श्रावक उच्यते” जो सम्यक्त्वको स्वीकार करके प्रतिदिन साधुओंसे धर्मसम्बन्धी कथा श्रवण करता है उसे श्रावक कहते हैं। श्रावक बनने में किसी जाति या कुलका नियम नहीं है क्योंकि श्रावक बनना क्रिया के आधीन है अतः किसी जाति या किसी कुलका मनुष्य, श्रद्धा और भक्तिसे जिन वचन को सुनता हुआ श्रावक कहाजा सकता है। अतएव विद्वानोंने कहा है कि. “अवाप्तदृष्ट्या दिविशुद्धसम्पत्, पर समाचार मनुप्रभाते। शृणोति यः साधु-जनादतन्द्र स्त श्रावक प्राहुरमी जिनेन्द्राः” अर्थात् जो पुरुष दृष्टि आदि विशुद्ध सम्पत्ति को पाकर प्रतिदिन आलस्यरहित होकर प्रभातकाल में साधुओंसे उत्तम आचार का सुनता है। उसे जिनवर श्रावक कहते हैं।

विद्वानोंने सत्रह प्रकार के पवित्र भावों से युक्त पुरुषको श्रावक कहा है, वे पवित्र-भाव ये हैं—

(१) श्रावक स्त्रीमें आसक्त नहीं होता है ।

(२) वह विषयों से इन्द्रियों को रोमता है ।

(३) जो उस्तु अनर्थ का कारण है श्रावक उसमें लोभ नहीं करता है ।

(४) श्रावक ससार में आसक्त नहीं होता है ।

(५) श्रावक विषयों में उत्कृष्ट अनुराग नहीं करता है ।

(६) श्रावक महारम्भ नहीं करता है यदि करे तो इन्डा-पूर्वक नहीं करता है ।

(७) श्रावक ग्रहवास जो पाशवन्धन के समान मानता है ।

(८) श्रावक सम्यक्त्वसे विचलित नहीं होता है ।

(९) श्रावक गृहस्था प्रवाह को त्याग देता है अर्थात् वह देखादेखी कोई घुरा कार्य नहीं करता है ।

(१०) श्रावक शास्त्रके अनुसार सभी क्रियायें करता है ।

(११) श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार दान आदि क्रियायें करता है ।

(१२) श्रावक लज्जाको त्याग कर निरवद्य क्रियाये करता है ।

(१३) श्रावक सासारिक पदार्थों में राग द्वेष नहीं करता है ।

(१४) श्रावक धर्म आदिके विचारमें मध्यस्थवृत्ति धारण करता है वह यह जाग्रह नहीं करता है कि-“ मैं जो कहना

हू वही सत्य है" किन्तु जो सत्य है उसीको वह स्वीकार करता है।

(१५) श्रावक, धन और स्वजन आदिके साथ सम्बन्ध रखता हुआभी इनको क्षणभङ्गुर जानकर इनमें आसक्त नहीं होता है।

(१६) श्रावक दूसरेकी रुचि रखनेके लिये भोग उपभोग में मग्न होता है तीव्र रससे नहीं।

(१७) जैसे वेश्या द्रव्यहरण करनेके लिये जासकी सेवन करती है अनुरागसे नहीं इसी तरह श्रावक धर्माचरण करनेके लिये गृहवास करता है अनुरागसे नहीं।

ऊपर कहे हुए १७ पवित्र भावोंसे युक्त पुरुष उत्तम श्रावक माना गया है।

जो पुरुष धर्मरूपी रत्नको प्राप्त करता है वह चाहे किसी जाति वा कुलका हो श्रावक हो सकता है। अतः धर्मरूपी रत्नको प्राप्त करने के लिये शास्त्रमें २१ गुणोंकी आवश्यकता उताई है। वे गुण ये हैं-

(१) (अशुद्र) जो पुरुष क्षुद्र नहीं किन्तु गम्भीर आशयवाला और सूक्ष्म रीतिसे वस्तुतत्त्वको विचार करनेमें समर्थ है वह धर्मरूपी रत्नको प्राप्त कर सकता है।

(२) (रूपनिधि) जो पुरुष प्रशस्त रूपवाला है अर्थात् जिसकी पाँचही - - - रीतिसे उदयको प्राप्त हैं वह

मनोहर आकृतिधारी पुरुष धर्मरूपी रत्नको प्राप्त कर सक्ता है। यद्यपि शास्त्रमें हरिषेण और हरिकेश आदि दुरूप पुरुषों को भी धर्मकी प्राप्ति रही है तथापि सम्पूर्ण अङ्गोना सद्भावही यद्वा मनोहर रूप माना गया है इसलिये कोई दोष नहीं है अथवा यह गुण सर्वत्र होनाही चाहिये यह नियम नहीं है। किन्तु २० गुणोंके होनेपर यदि यह एक गुण न हो, तो भी धर्मरत्नकी प्राप्ति होजाती है अतः यह गुण सार्वत्रिक नहीं है।

(३) (सौम्य) जो पुरुष स्वभावसे ही शीतल है जिसे देखकर लोगोंको विश्वास उत्पन्न होता है वह सौम्य पुरुष धर्मरत्नको प्राप्त कर सक्ता है। सौम्य पुरुष प्रायः पाप कर्ममें प्रवृत्त नहीं होता है और मनुष्यगण सुखसे उसका आश्रय लेते हैं इसलिये सौम्य गुणको धर्मरत्नकी प्राप्तिका कारण माना है।

(४) (जनप्रिय) जो पुरुष परगोक से नष्ट करनेवाले कर्मोंका सेवन नहीं करता है तथा दान आदि शुभ क्रियायें करता है वह सब लोगोंका प्रिय होता है अतः उसे जनप्रिय कहते हैं वह पुरुष ही धर्मरत्नका भाजन होसक्ता है।

(५) (अक्रूर) जिसका चित्त, क्रूरता यानी निष्पूरताके कारण मलीन नहीं है उसे अक्रूर कहते हैं वह धर्मरत्नको प्राप्त कर सक्ता है परन्तु जो पुरुष क्रूर और दूसरेके दोषोंको दृढता है वह नहीं प्राप्त कर सक्ता है।

(६) (भीरु) जिन कर्मोंके सेवन से यह लोक तथा परलोक नष्ट हो जाते हैं उन अधर्ममय कर्मोंसे जो भय करता है तथा कारण होनेपर भी निःशङ्क होकर अधर्ममें प्रवृत्त नहीं होता है वही पुरुष धर्मरत्नको प्राप्त कर सकता है ।

(७) (अशठ) जो पुरुष दूसरेको ठगने में निपुण है, उसे शठ कहते हैं, वह किसीका विश्वासपात्र नहीं होता अतः जो पुरुष दूसरे को ठगने आदि कार्योंसे दूर रहता है वह अशठ कहलाता है वह पुरुषही धर्मरत्नका अधिकारी होता है ।

(८) (सदाक्षिण्य) जो अपना कार्य छोड़कर दूसरेके कार्य करनेमें बहुत मग्न रहता है वह सदाक्षिण्य कहलाता है, ऐसे पुरुषकी कौन सेवा नहीं करता है ? वही पुरुष धर्मरत्नका भाजन होता है ।

(९) (लज्जावान्) जो पुरुष पाप कर्मकी चार्तासे भी लज्जित होता है तथा स्वीकार किये हुए कार्यको छोड़नेमें समर्थ नही होता है वह पुरुष ही धर्मरत्न को प्राप्त कर सकता है ।

(१०) (दयालु) धर्मका मूल दया है इसलिये जो पुरुष दुःखी जीवोंकी रक्षा करनेकी इच्छा रखता है वह दयालु है, वह पुरुष धर्मरत्नको प्राप्त कर सकता है ।

(११) (मन्यस्थ) जो पुरुष राग द्वेषसे रहित होकर

मध्यस्थवृत्तिको धारण करता है वह सभीको प्रिय होता है वही पुरुष धर्मरूपी रत्न को प्राप्त करनेमें समर्थ होता है ।

(१२) (सौम्यदृष्टि) जिसको देखकर किसीको उद्वेग उत्पन्न नहीं होता किन्तु सभीको उसमें प्रीति उत्पन्न होती है उसे सौम्यदृष्टि कहते हैं वह पुरुष धर्मरत्नका भाजन होता है ।

(१३) (गुणरागी) जो पुरुष गम्भीरता और स्थिरता आदि गुणों में राग रखता है तथा गुणवान् पुरुषोंको बहुमान पूर्वक देखता हुआ निर्गुणोंकी उपेक्षा करता है वह गुणरागी है, वह पुरुष धर्मरूपी रत्नका भाजन हो सकता है ।

(१४) (सत्कथ) एकान्त हितकारक धर्मकथा जिमको प्रिय लगती है तथा जो सची बात कहता है उसे सत्कथ कहते हैं वह धर्मरत्न को प्राप्त कर सकता है ।

(१५) (सुदीर्घदर्शी) पहलेही अच्छी रीतिसे विचार कर परिणाम में जिससे लाभ होता है ऐसे शुभ कार्योंको ही जो करता है उसे सुदीर्घदर्शी कहते हैं वह पुरुषही धर्मरत्नको प्राप्त करनेमें समर्थ है ।

(१६) (विशेषज्ञ) जो पुरुष भली और बुरी बातों को अच्छी तरह जानता है वह विशेषज्ञ कहलाता है वह पुरुष धर्मरूपी रत्नको प्राप्त करनेमें समर्थ है । परन्तु जो गुणको दोष और दोषको गुण समझता है वह नहीं प्राप्त कर सकता है ।

(१७) (वृद्धानुगत) जो पुरुष गुण को उपार्जन करने के लिये परिपक्व बुद्धिवाले वृद्धों की सेवा करता है वह पुरुष वृद्धानुगत कहलाता है, वही पुरुष धर्मरूपी रत्न का भाजन होता है परन्तु जो अपनी इच्छानुसार विचरता है वह नहीं।

(१८) (विनीत) जो श्रेष्ठ जनों को उचित मान देता है वह विनीत कहलाता है उस पुरुष के पास सब सम्पत्तियाँ शीघ्र ही आती हैं और वही धर्म रत्न का भाजन होता है।

(१९) (कृतज्ञ) जो पुरुष दूसरे के द्वारा किये हुए उपकार को भूलता नहीं किन्तु सदा स्मरण रखता है उसे कृतज्ञ कहते हैं उस पुरुष को गुणरत्न की प्राप्ति होती है परन्तु जो कृतज्ञ है उसको धर्मरत्न की प्राप्ति नहीं होती।

(२०) (परहितकारी) जो स्वभावसे ही दूसरे का हित करता है उसे परहितकारी कहते हैं। सदाक्षिण्य पुरुष मार्थना करने पर दूसरे का हित करता है और यह स्वभावसे ही करता है यही इन दोनों का परस्पर भेद है। वह परहितकारी पुरुष धर्मरूपी रत्न को प्राप्त कर सकता है।

(२१) (लब्धलक्ष) जो पुरुष कठिन से कठिन धर्म कार्य को सुख से कर डालता है उस कार्यदक्ष पुरुष को लब्धलक्ष कहते हैं, वह पुरुष सम्यक्त्व रत्न को प्राप्त कर सकता है।

ऊपर कहे हुए २१ गुणों से युक्त पुरुष श्रावक होता है। जैसे निर्मल वस्त्र के रङ्ग चढ़ता है मलिन वस्त्र के

ऊपर नहीं इसी तरह उक्त २१ गुणों से युक्त निर्मल आत्मा के ऊपर ही धर्म का रङ्ग चढ़ता है अतः उक्त २१ गुणों से युक्त पुरुष ही धर्मरत्न का भाजन हो कर श्रावक होता है ।

(श्रावकों के दो भेद)

श्रावक दो प्रकार के होते हैं एक सम्यक्त्वशारी और दूसरे प्रतशारी । जो सम्यक्त्व की धारण करते हैं परन्तु श्रावकों के १० प्रतों को अङ्गीकार नहीं करते हैं वे सम्यक्त्व धारी हैं और जो श्रावकों के बारह प्रतों को भी धारण करते हैं वे प्रतशारी कहलाते हैं ।

(सम्यक्त्व के लक्षण और भेद)

“सम्यग् जीवस्तस्य भावः सम्यक्त्वम्” जीव को सम्यक् कहते हैं और उस के प्रथम, सवेग श्रद्धा और आस्तित्व आदि जो शुभ परिणाम हैं उन को सम्यक्त्व कहते हैं । अथवा जिस के बल से जीव को सर्वज्ञोक्त जीवादि नव मन्त्रों के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न होती है उस को सम्यक्त्व कहते हैं । उस सम्यक्त्व के कई भेद होते हैं । किमी अपेक्षा से सम्यक्त्व दो प्रकार का होता है एक व्यवहार सम्यक्त्व और दूसरा निश्चय सम्यक्त्व । बुद्धि, बुद्धि, और बुद्धि को छोड़कर सुगुण, सुदेव और सुमार्ग को स्वीकार करना व्यवहार सम्यक्त्व है और जिस से ज्ञान विशुद्ध होता है वह आत्मा का शुभ परिणाम निश्चय सम्यक्त्व है । किमी अपेक्षा से सम्यक्त्व के पांच भेद हैं—

(१) (क्षायिक सम्यक्त्व) मिथ्यात्वमोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्वमोहनीय इन तीन प्रकृतियों के क्षय से जो आत्मा में शुभ परिणाम होता है उसे क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं ।

(२) (औपशमिक सम्यक्त्व) दर्शन मोहनीय की ऊपर कही हुई तीन प्रकृतियों के उपशम से आत्मा में जो परिणाम होता है उसे उपशमसम्यक्त्व कहते हैं ।

(३) (क्षायोपशमिक सम्यक्त्व) मिथ्यात्व कर्म के क्षय और उपशम से तथा सम्यक्त्व मोहनीय कर्म के उदय से जो आत्मा में परिणाम उत्पन्न होता है उसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं ।

(४) (वेदक सम्यक्त्व) क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में वर्तमान जीव जब सम्यक्त्व मोहनीय के अन्तिम पुद्गल के रस का अनुभव करता है उस समय के उस के परिणाम को वेदक सम्यक्त्व कहते हैं ।

(५) (सास्वादन सम्यक्त्व)-उपशम सम्यक्त्व से गिरकर मिथ्यात्व की ओर जाता हुआ जीव जबतक मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं करता है तबतक के उस के परिणाम को सास्वादन सम्यक्त्व कहते हैं ।

इसी तरह सापायक और प्रतिक्रमण आदि जिनोक्त क्रियाओं को अनुष्ठा करने का कारण सम्यक्त्व है तथा उन में

रुचि रखना रोचक सम्यक्त्व है एवं उन में होने वाले लाभों को सभाओं में वर्णन करना दीपक सम्यक्त्व है इस प्रकार सम्यक्त्व के कई भेद होते हैं

जो उक्त सम्यक्त्व को धारण करता है वह सम्यक्त्व धारी श्रावक है और जो सम्यक्त्व को धारण कर के श्रावक के चारह व्रतों को भी अङ्गीकार करता है वह व्रतधारी श्रावक है। व्रतधारी श्रावक सम्यक्त्वधारी श्रावक से श्रेष्ठ है। व्रतधारी श्रावक के जो चारह व्रत होते हैं उनमें पहले के पाँच व्रत अनुव्रत कहलाते हैं साधुओं के पाच महाव्रतों की अपेक्षा ये छोटे हैं इस लिये ये अनुव्रत कहलाते हैं। बीच के तीन गुणव्रत कहलाते हैं और अन्त के चार व्रत शिक्षाव्रत कहलाते हैं।

इन चारह व्रतों का स्वरूप जानकर इन का धारण और पालन किया जा सकता है परन्तु बिना जाने नहीं अतः शास्त्रोक्त रीति से इनका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। परन्तु आज कल काल के मभाव से अथवा मतों की विचित्रता के कारण इन व्रतों के अर्थ में अनेकों भेद हो गये हैं कोई व्रत तथा अविचारों का अर्थ अन्य प्रकार से करता है तो दूसरा दूसरी तरह से करता है, यहातक कि इन के नामोंका भी परिवर्तन कर के लोग मनमाना अर्थ करते हैं।

एक सम्प्रदाय असतीपोषणता को असयतिपोषणता

कहता है और किसी भी असंयति जीव को सहायता देना पाप बताता है अतः व्रत ग्रहण करने की इच्छा करनेवाले श्रावकों का चित्त सशयग्रस्त हो कर व्रत धारण करने में समर्थ नहीं होता है ।

इस त्रुटि को दूर करने के लिये मैंने हरिभद्री आवश्यक तथा पूज्यश्री के व्याख्यान की कॉपी की सहायता से इस पुस्तक को निर्माण किया है । इस में किसी भी सम्प्रदाय विशेष का पक्षपात न रखकर मध्यस्थ वृत्ति से व्रत तथा अति-चारे की व्याख्या की है । अतः भव्य जीव इस ग्रन्थ को मनन कर के व्रतो का ज्ञान प्राप्त कर उसे धारण और पालन के द्वारा आत्मोन्नति करेंगे यह पूर्ण आशा है ।

लेखक—

उपोद्घात

ससार में जितने प्राणी हैं वे सभी सुखको उपादेय और दुःखको हेय समझते हैं। छोटे जीवसे लेकर बड़े जीव पर्यन्त सभी प्राणी निरन्तर दुःखकी निवृत्ति और सुखकी प्राप्ति के लिये अनेकों प्रकार के उद्योग करते रहते हैं। कोई कृषि करता है कोई वाणिज्य करता है कोई धनवानोकी सेवा करता है और कोई पशुओंका पालन करता है। इन कार्योंके द्वारा पिचारे दुःखी प्राणी दुःखसे अपने प्राणकी आशा रखते हैं। पिता दुःख निवृत्ति और सुखकी प्राप्ति के लिये जिस किसी तरह धन उपार्जन करके अपने पुत्र पुत्रिकाओंका पालन करता है और पुत्र पुत्रिकायें भी सुखकी प्राप्ति और दुःखकी निवृत्ति के लिये अपने पिता माताकी सेवा करते हैं कोई सुखकी प्राप्ति और दुःखका नाश करने के लिये दारपरिग्रह करके सन्तानकी वृद्धि करता है तो कोई अपने बने बनाये घर दार और पुत्र आदिको त्याग कर सुखकी प्राप्ति के लिये वनचारी हो जाता है। कहनेका आशय यह है कि जगत् में प्राणियों के द्वारा भले या बुरे जितने कार्य किये जाते हैं वे सब सुखकी प्राप्ति और दुःखकी निवृत्ति की आशासे ही किये जाते हैं परन्तु दुःखकी प्राप्ति और सुखकी निवृत्ति की आशासे नहीं। हमें सुख मिले यह सभीकी इच्छा है, इसमें किसीका मतभेद नहीं है।

सुख प्राप्ति के उपायों

योंका मतैक्य नहीं है। एक माणी जिस कार्यको सुखकी प्राप्तिका कारण समझता है दूसरा उसे दुःखका कारण मानता है इस प्रकार समस्त माणियोंका उद्देश्य एक मान सुखकी प्राप्ति और दुःखकी निवृत्ति होते हुए भी अपनी अपनी रुचि और विचारकी विचित्रताके कारण साधनोंकी विचित्रता देखी जाती है।

यद्यपि सुखके साधनोंमें मतवादियोंका एकरूप न होनेसे कभी कभी समाजकी भारी क्षति होती है और प्रजाओंमें अशान्तिकी वृद्धि हो जाती है तथापि सभी साधन ऐसे नहीं हैं कोई साधन ऐसा भी है जिसमें किसीका मतभेद नहीं और अशान्तिका नाम निशान भी नहीं किन्तु शान्तिका महासागर आनन्दकी लहरोंसे परिपूर्ण है। वह सुखका साधन है अहिंसा। वेद पुरान कुरान राईउल आदि आदि जितने धर्मग्रन्थ आज लोकोमें प्रचलित हैं वे सभी एक स्वरसे इसका समर्थन करते हैं कोई भी इसमें मतभेद नहीं रखता है और अशान्ति की तो इसमें चर्चा ही कहाँ है? क्योंकि वह तो हिंसावृत्तिसे होती है अतः जहाँ अहिंसा है वहाँ अशान्तिका होना कैसे बन सकता है?।

शान्ति, सुख और मोक्ष एक ही हैं और अशान्ति दुःख तथा चंच भी भिन्न नहीं हैं। अतः जबतक अहिंसावृत्ति पूर्णरूपसे जीवमें न आवेगी तबतक उसे शान्ति सुख या मोक्ष मिलना कठिन नहीं किन्तु असम्भव है इसी तरह जबतक हिंसा वृत्तिको नाश न होगा तबतक अशान्ति दुःख या चंचका

नाश भी अमम्भव है। वस्तुतः शान्तिकी जननी अहिंसा ही धर्मकी कसौटी है। जो साधन या जो धर्म इस अहिंसा की कसौटी पर खरा उतरे वही शान्ति या सुखका साधन तथा उपाय है इतर नहीं हैं। जो साधन अहिंसाकी कसौटी पर खरा नहीं उतरता वह सुखका साधन नहीं किन्तु वह साधना-भास है उसे शान्तिका साधन मानना भ्रम है।

जगत् की समस्त नदियाँ जैसे साक्षात् या परम्परासे समुद्रमें मिलती हैं उसी तरह सभी सुखके साधन या धर्म अहिंसा में मिलते हैं। अतः जो साधन अहिंसा में न मिठकर इससे प्रतिकूल चलता है वह सुखका साधन नहीं किन्तु दुःख का कारण है। भ्रमवश उसे सुखका साधन मानकर जीव अनन्त कालतक दुःख महासागरमें दुःख भोगता रहता है। अतः सर्वसम्मत अहिंसा ही दुःखका नाशक और शान्तिका कारण है यह निर्विवाद है।

शास्त्रमें जो श्रमणोंके पञ्च महाव्रत कहे गये हैं उनमें मुख्य अहिंसा ही है शेष चार व्रत तो अहिंसाकी पुष्टि के लिये विधान किये गये हैं। जैसे खेतकी रक्षा के लिये बाड़ बनाई जाती है इसी तरह अहिंसा की रक्षाके लिये शेष चार व्रत धारण किये जाते हैं। इस प्रकार अहिंसाकी वृद्धि ज्यों ज्यों होती जाती है त्यों त्यों जीवमें शान्ति या सुखकी वृद्धि होती है और अन्तमें पूर्ण अहिंसा स्थापित होजाने पर जीव परम शान्ति या मोक्ष को प्राप्त करता है।

किसी ऊँचे प्रासाद या पर्वत पर चढ़ने के लिये जैसे सीढ़ी का होना आवश्यक होता है इसी तरह पूर्ण अहिंसाको प्राप्त करने के लिये जीवको अवान्तर साधनोंकी आवश्यकता होती है। अतएव शास्त्रकारोंने महान् परिश्रमके साथ जगदुपकारार्थ शास्त्रोक्त निर्माण करके उसके द्वारा अहिंसा प्राप्त करने के लिये अवान्तर साधनोंका उपदेश किया है। उस शास्त्रीय उपदेश के अनुसार आचरण करता हुआ जीव काष्पाम्बर अवश्य अहिंसाकी पूर्णता को अपने में स्थापित करके परमशान्तिका अनुभव करता है परन्तु इस कार्यमें प्रवृत्ति होना या न होना अपने अपने परिणाम के आधीन है।

परिणामोंकी विचित्रताके कारण अधिकारियोंमें भेद होता है अतएव कोई उत्तमाधिकारी और कोई मन्दाधिकारी होते हैं जो पुरुष उत्तमाधिकारी हैं और पूर्ण वैराग्य सम्पन्न प्रज्याधारी हैं उनके लिये तो शास्त्रकारने पञ्चमहाव्रतोंका उपदेश किया है और जो मन्दाधिकारी हैं उनके लिये श्रावणोंके वारह व्रतोंका विधान किया है।

वारह व्रतोंका विधिवत् पालन करता हुआ जीव काष्ठ पाम्बर उत्तमाधिकारी होकर पञ्चमहाव्रतोंका आराधक हो सकता है और पञ्चमहाव्रतोंके आराधनसे वह मोक्ष या पूर्ण शान्तिको पारर सदाके लिये दुःख रहित नित्य सुखका भाजन होता है।

जैसे गेहूँ चने आदिनी उत्पत्ति स्थिति और वृद्धि सर्व क्षेत्रमें होती है इसीतरह श्रमणोंके पञ्च महाव्रत और श्रावणोंके

वारह व्रतोंकी उत्पत्ति स्थिति और वृद्धि शुद्ध श्रद्धारूप क्षेत्रमें होती है। अतः श्रावकोंके वारह व्रत धारण करनेके पूर्व शुद्ध श्रद्धाको प्राप्त करना जीवको परम आवश्यक है क्योंकि इसके बिना न तो वारह व्रतोंकी प्राप्ति ही होती है और न वृद्धि ही होती है। जैसे मकान पहाड़ या वृक्ष आदि पृथिवीरूप आधारके बिना नहीं रहसकते इसीतरह श्रावकोंके वारह व्रत शुद्ध श्रद्धारूप आधारके बिना नहीं रहते अतः वारह व्रत धारण करनेकी इच्छा करनेवाले जीवको वारह व्रत धारणके पूर्व शुद्ध श्रद्धा धारण करनेकी परम आवश्यकता है।

वह शुद्ध श्रद्धा, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय, और सम्यक्त्वमोहनीयके क्षयरूप क्षयोपशम और उपशमसे जीवको प्राप्त होती है इस लिये जीवको पहले मिथ्यात्वादि प्रकृतियोंके क्षयोपशम आदिके कारणोंका अन्वेषण करना चाहिये। मिथ्यात्वादि प्रकृतियोंके क्षयोपशम आदिके कारण शुद्ध देव शुद्ध गुरु और शुद्ध धर्म शास्त्रमें बताया गये हैं इसलिये शुद्ध श्रद्धाकी प्राप्ति चाहनेवाले जीवको शुद्ध देव शुद्ध गुरु और शुद्ध धर्मकी प्राप्ति करनी चाहिये।

किसी भी वस्तुका स्वरूप जाने बिना उसका ग्रहण या त्याग नहीं किया जासकता है इस लिये शुद्ध देव शुद्ध गुरु और शुद्ध धर्मका स्वरूप ज्ञान के लिये इनका शास्त्रोक्त लक्षण बताया जाता है। शास्त्रमें कहा है कि—

“अद्वयस दोसरहिओ देवो, धम्मोऽवि निद्युणदयसरिओ
मुगुरुवि बभयारी आरंभ पग्गिगहा विग्गो ।”

इसका अर्थ यह है कि—जिसमें अठारह प्रकारके दोष नहीं
हैं वह शुद्ध देव है। वे अठारह प्रकारके दोष ये हैं—

(१) अज्ञान (२) क्रोध (३) मद (४) मान (५) लोभ
(६) माया (७) रति (८) अरति (९) पाँच प्रकारकी निद्रा
(१०) निन्दा (११) शोक (१२) असत् (१३) अदत्त (१४)
ईर्ष्या (१५) इह लोकोभय (१६) परलोकोभय (१७) प्राणिवध
(१८) क्रीडाप्रमद। इन अठारह दोषोंसे वर्जित देव शुद्ध देव है।

इन दोषोंके क्रमशः स्वरूप बताये जाते हैं—

(अज्ञान) अनेकान्त वस्तुके एक अंशको स्वीकार करके
दूसरे अंश को सर्वथा निषेध करना ‘अज्ञान’ है।

(क्रोध) चित्तकी जिस बुरी वृत्तिसे उत्तेजित होकर जीव
दूसरे प्राणीका उध और ताड़न आदि निन्दनीय कार्य करता
है वह ‘क्रोध’ है।

(मद) जाति या कुलके घमण्डको ‘मद’ कहते हैं।

(मान) अहंकारको ‘मान’ कहते हैं।

(लोभ) जो वस्तु अपने पास हो या न हो उसमें मूर्च्छा
रखना ‘लोभ’ है।

(माया) दूसरेको ठगना ‘माया’ है।

(रति) रूप, रस और गन्धादि विषयोंमें अत्यन्त प्रेम
रखना ‘रति’ है।

(अरति) जो वस्तु अपनेको प्रतिकूल प्रतीत हो उससे द्वेष करना 'अरति' है।

(निद्रा) सुखसे सोना और सुखसे जागना 'निद्रा' है।

(निद्रानिद्रा) जो आवाज आनेपर हुट जाती है वह 'निद्रानिद्रा' है।

(प्रचला) बैठे बैठे नोंद आना 'प्रचला' है।

(प्रचलाप्रचला) घोड़ेकी तरह चलते फिरते नोंद आना 'प्रचलाप्रचला' है।

(स्त्यानर्द्धि) दिनमें सोचे हुए कार्यको नोंदमें ही कर-
हालना 'स्त्यानर्द्धि' निद्रा है।

(निन्दा) दूसरेकी बुराई करना 'निन्दा' है।

(शोक) इष्ट वस्तुके वियोगसे उत्पन्न दुःखको 'शोक' कहते हैं।

(असत्) अनन्तधर्मात्मक अनेकान्त वस्तुको एकान्त बताना अथवा जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसी कहना 'असत्' है।

(अदत्त) न दीहुई वस्तुको अपने स्वार्थके लिये लेलेना 'अदत्त' है।

(ईर्ष्या) दूसरेकी उन्नति देखकर मनमें जलना 'ईर्ष्या' है।

(इह लोकाभय) इस लोकके भयको 'इहलोकाभय' कहते हैं।

(परलोकभय) परलोकमें भयको 'परलोकभय' कहते हैं।

(प्राणिघघ) प्राणियों को दुःख देना या मारना 'प्राणिघघ' है।

(क्रीडाप्रसङ्ग) किसी आश्चर्यजनक वस्तुको देखकर हास्यविनोद आदि करना अथवा खेलकूद आदि चित्तविनोदके विषयोंमें आसक्त रहना 'क्रीडाप्रसङ्ग' है।

ये ऊपर लिखे हुए अठारह दोष जिसमें न हों वम देवको शुद्ध देव समझना चाहिये।

इन अठारह दोषों की गणना इस प्रकारभी की जाती है, जैसे—(१) दानान्तराय, (२) लाभान्तराय, (३) भोगान्तराय, (४) उपभोगान्तराय, (५) वीर्यान्तराय, (६) हास्य, (७) रति (८) अरति (९) भय (१०) जुगुप्सा (११) शोक (१२) काम (१३) मिथ्यात्व (१४) अज्ञान (१५) निद्रा (१६) राग (१७) द्वेष (१८) अप्रत। ये अठारह प्रकारके दोष हैं। इन से तथा पूर्वोक्त अठारह दोषों से रहित जो देव है उसे शुद्ध देव समझना चाहिये। इन अठारह दोषों से रहित कोई भी व्यक्ति शुद्ध देव कहा जा सकता है और वही शुद्ध धर्मका उपदेशक और तत्त्वदर्शी है। ऐसे देव में श्रद्धा रखना शुद्ध देव की श्रद्धा समझनी चाहिये।

उक्त अठारह दोषों से रहित वह शुद्ध देव जिस धर्मका उपदेश करते हैं वह धर्म दयामय धर्म है। अतएव धर्मका लक्षण बताते हुए शास्त्रकार लिखते हैं कि—“धम्मो-

वि निवृणदयसहिओ ” अर्थात् धर्म वही है जो उत्तम दया से युक्त है। अतः जिस अनुष्ठान या क्रिया में दया नहीं है वह धर्म कहलाने योग्य नहीं तथा उस के सेवन से जीवकी सासारिक यातनाओ से मुक्ति नहीं होती है। दयारहित अनुष्ठान का नाम चाहे अपनी इच्छा से भले ही कोई धर्म रख दे परन्तु उस से जीवको प्राण नहीं प्राप्त हो सकता है। उक्त धर्म के लक्षण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दया ही धर्म की जननी है और वही धर्मरूपी वृक्षका बीज है इसलिये जहा दया नहीं वहा धर्म नहीं यह सिद्धान्त ही यथार्थ है।

यद्यपि धर्म दयामय होता है इस में कोई सन्देह नहीं है तथापि दया के अर्थ में कई मतवादियों की व्याख्यायें भिन्न भिन्न प्रकारकी है जिस से जनता में भ्रमकी वृद्धि हो कर दया के सचे स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है अतः दया के विषय में यहा सक्षेप से कुछ लिखना अनावश्यक नहीं है।

“दय् दानगतिरक्षणहिंसादानेषु” इस धातु से ‘दया’ शब्द बना है इसलिये दु खी जीवो को दान देना और रक्षा करना दया शब्द का अर्थ है यद्यपि दया शब्द का अर्थ धातुषाठ के अनुसार गति हिंसा और लेना भी हो सकते हैं तथापि वे अर्थ प्रचलित नहीं हैं किन्तु दान देना और रक्षा करना अर्थ ही प्रचलित है अतएव दया शब्दका पर्याय लिखते हुए अमरसिंहने

अपने कोश में लिखा है कि—“कृपा दयाऽनुरुम्पा स्यात्” अर्थात् कृपा दया और अनुरुम्पा ये शब्द समानार्थक हैं। वस्तुतः जिस चित्तवृत्ति से प्रेरित होकर जीव दीन दुःखी प्राणियों पर अनुरुम्पा करके उनको दान देता है और मरते जीवकी रक्षा करता है तथा स्वयं किसी जीव को नहीं मारता है उस चित्तवृत्तिको दया कहते हैं। वह चित्तवृत्ति ही अहिंसा की जननी है क्योंकि जिसकी चित्तवृत्ति दयामय नहीं है वह कभी भी अहिंसा धर्मका उपासक नहीं हो सकता है। अतएव प्रश्नव्याकरण सूत्रके प्रथम सबद्वारमें शास्त्रकार लिखते हैं कि—“सर्वजगज्जीवरक्वणदयदृयाए पावयण भगवया सुहृषि” अर्थात् जगत् के समस्त प्राणियों की रक्षा रूप दया के लिये भगवान् ने इस आर्हत प्रवचन का उपदेश किया है। अतः आर्हत प्रवचनका उद्देश्य जगत् में दयामय धर्म का प्रचार करके प्राणियोंकी रक्षा करना ही है। तथा सूत्रकर्ता सूत्र में कहा है कि—“दाणाण सेष्ठ अभयप्पयाण” अर्थात् भय पाते हुए प्राणी को अभय देना सब दानों में श्रेष्ठ है। इसका कारण यही है कि—अभयदान देना दयाका ही कार्य है जो निर्हय है वह ऐसा नहीं करता है दयात्रु पुरुष ही मरते प्राणी की प्राण रक्षा करते हैं अतः दयाकी मात्रा बहुत अधिक होने से अभयदान को सब में श्रेष्ठ कहा है।

दाणाङ्ग सूत्र के चौथे ठाणे में कहा है कि—“एणे आया

णुकपेवि पराणुरूपेवि ” अर्थात् कोई पुरुष अपनी भी दया करते हैं और दूसरेकी भी दया करते हैं । विवेकी पुरुष पाप से अपने आत्माको बचाते हैं यह उनकी अपने ऊपर दया करना है और दूसरे प्राणीको उपदेश आदि दे कर जो उस के द्वारा मारे जानेवाले प्राणी की रक्षा करते हैं वह उनकी दूसरे प्राणीपर दया करना है ।

इस प्रकार स्वयं किसी प्राणी को न मारना और दूसरे प्राणी को न मारनेका उपदेश करना तथा हिंसक प्राणी के द्वारा मारेजाते हुए जीव की रक्षा करना, एव दीन दुःखी प्राणियों पर अनुकम्पा करके उनको सहायता देना ये सब दया कहे जाते हैं । ऐसे दयामय धर्म का उपदेशक शुद्ध देवही हैं दूसरे नहीं ।

जो पुरुष अपने आत्माका कल्याण करना चाहता है उस को ऐसे देव में श्रद्धा रखना परम आवश्यक है परन्तु विना सद् गुरु के ऐसे देव का उपदेश प्राप्त होना सरल नहीं है इस लिये उक्त शुद्ध देव का ज्ञान कराने के लिये सद् गुरु की नितान्त आवश्यकता है । अतः सद् गुरु का लक्षण बताते हुए शास्त्रकार ने लिखा है कि—“ सृगुरु वि बभयारी आरभ-परि-गाहा विरओ ” अर्थात् जो पुरुष ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है और आरम्भ तथा परिग्रह से वर्जित है वह सद् गुरु है । वही सद्गुरु मनुष्य को शुद्ध देव का उपदेश दे कर उस में जीवकी श्रद्धा उत्पन्न करने में समर्थ है । वह सद्गुरु सर्वत्र

नहीं मिलने किन्तु शुद्ध सम्प्रदाय या शुद्ध गच्छ में ही मिलते हैं अतः शुद्ध सम्प्रदाय या गच्छ के ज्ञानार्थ उनका लक्षण लिखाना है।

जिस सम्प्रदाय या गच्छके रक्षक आचार्य और उपाध्याय आदि शास्त्रानुक्रम आचरण करनेवाले, मिथ्यात्वमल रहित तथा सम्यग्ज्ञान आदिकी आराधना करते हैं एवं जहाँ शास्त्रविन्द स्वच्छन्द बुद्धिसे मूर्ख और उसके अर्थकी विपरीत प्ररूपणा नहीं की जाती है, तथा जिस गच्छमें ज्ञान, सयम, तप, दान, सम्मान, आहार विहार, आदि समस्त कार्ग्य विधिपूर्वक गुप्तकी आज्ञासे किये जाते हैं वह, शुद्ध गच्छ या शुद्ध सम्प्रदाय समझना चाहिये ऐसे शुद्ध सम्प्रदाय या शुद्ध गच्छमेंही सद्गुरु मिलते हैं और उनकी सेवासे जीवको शुद्ध देव और शुद्ध धर्ममें श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा उत्पन्न होने पर जीव उत्तरोत्तर अपने आत्माकी उन्नति करता हुआ काल प्राकर ससार सागरको पार करके सब दुःखोंसे रहित अज्ञय मोक्ष सुखका भागी बनता है।



श्रद्धा या सम्यक्त्व

वस्तुके सचे स्वरूपको जानकर उसमें अटल विश्वास रखना और मिथ्या विचार या मिथ्या अर्थको एकान्त रूपसे छोड़ देना श्रद्धा, या सम्यक्त्व (समकृत) कहलाता है।

इस सम्यक्त्वको धारण करनेवाला जीव, मिथ्यादृष्टि अज्ञानियोंके कुमन्तव्योंमें नहीं मानता है तथा मिथ्यादृष्टि अज्ञानी पुरुषों के द्वारा पूजित देव या गुरुको मोक्ष प्राप्ति के लिये वन्दना नमस्कार और दान सम्मान आदि नहीं करता है। सम्यक्त्वधारी पुरुष, विपत्तिमें पड़े हुए दीन दुःखी प्राणियों पर अनुकम्पा करके दान आदि के द्वारा उनकी सहायता करना अपना कर्तव्य समझता है क्योंकि ऐमा करना अनुकम्पारूप गुण के लिये है दोषके लिये नहीं। अतएव शास्त्रका वाक्य यह मिलता है कि—

“सर्वेहिं पि जिणेहिं दृज्जयजियरागदोपमोहेहिं ।

सत्ताणुकपणद्धा, दाण न कर्हिं चि पडिसिद्ध ॥”

(जाया) “सर्वैरपि जिनैः, जितदुर्जयरागद्वेषमोहैः ।

सत्त्वानुकम्पनार्थं दान न कुत्रचित् प्रतिपिद्धम् ॥”

अर्थात् दुःखसे जीतने योग्य राग द्वेष और मोहके ऊपर विजय पाये हुए सभी जिनवरोने प्राणियोंकी अनुकम्पाके लिये दानका कहींभी निषेध नहीं किया है।

सम्यक्त्वधारी पुरुष मिथ्यात्वियोंके द्वारा पूजित देव और गुरु आदिको वन्दना नमस्कार और दान सम्मान आदि नहीं करते हैं यह जो पहले कहा गया है सो उत्सर्ग समझना

चाहिये क्योंकि इसके विषयमें आगे कहे जानेवाले छः प्रकारके अपवाद भी शास्त्रमें पाये जाते हैं। वे अपवाद ये हैं—(१) राजाभियोग (२) गणाभियोग (३) बलाभियोग (४) देवाभियोग (५) गुरुनिग्रह (६) और वृत्तिकान्तार

इन छः कारणोंके उपस्थित होनेपर सम्यक्त्वधारी पुरुषको यदि मिथ्यादेव और मिथ्यागुरु आदिको वन्दन नमस्कार और दान सम्मान आदि करना पड़े तो कोई दोष नहीं है। अब इन छः अपवादोंका अर्थ किया जाता है। राजा महाराजा आदिके द्वारा जो दवाय दिया जाता है उसे राजाभियोग कहते हैं। तथा गण यानी समाजके द्वारा दिये हुए दवायको गणाभियोग कहते हैं। किसी बलवान् व्यक्तिके दवायको बलाभियोग कहते हैं। एव देवी देवता आदिके द्वारा विवश किया जाना देवाभियोग है। अपनी जीविनाका निर्वाह न हो सकना वृत्तिकान्तार कहलाता है। माता पिता और ज्येष्ठ बन्धु आदि गुरुजनोकी आज्ञा अथवा साधुओंके ऊपर आये हुए कष्टको गुरुनिग्रह कहते हैं। इन छः कारणोंके उपस्थित होनेपर सम्यक्त्वधारी पुरुषको यदि मिथ्यादृष्टि अज्ञानियोंको वन्दन नमस्कार और दान सम्मानादि करना पड़े तो इससे उसके सम्यक्त्व में किसी प्रकारका दोष नहीं आता है।

जिस आचरणसे प्रतुधारीके प्रतमें दोष उत्पन्न होता है उसे अविचार कहते हैं। सम्यक्त्वमें दोष उत्पन्न करनेवाले अविचार पाच प्रकारके कहे गये हैं वे ये हैं—

(१) शङ्का (२) काङ्क्षा (३) विचिकित्सा (४) परपापण्ड प्रशंसा (५) और परपापण्डसस्तव ।

इन पांच अतिचारोंके क्रमशः स्वरूप ये हैं—(१) सर्वज्ञ भगवान्के द्वारा कहे हुए पदार्थोंको अज्ञसे या सर्वथा मिथ्या होनेका भ्रम करना शंका नामक पहला, सम्यक्त्वका अतिचार है ।

(२) जो दर्शन सर्वज्ञोक्त नहीं किन्तु अज्ञानियोंके द्वारा रचित हैं उनकी अज्ञसे या सर्वथा इच्छा करना काङ्क्षा नामक दूसरा अतिचार है ।

(३) सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्रकी आराधना निष्फल नहीं होती किन्तु इससे जीवको परम शान्तिरूप फल प्राप्त होता है यह शास्त्रकी घोषणा है तथापि इसके फलमें सन्देह करना विचिकित्सा नामक तीसरा अतिचार है ।

(५) जो शास्त्र सर्वज्ञ के द्वारा कथित नहीं है उनकी प्रशंसा करना परपापण्डप्रशंसा नामक चौथा अतिचार है ।

(५) जो धर्म सर्वज्ञ के द्वारा प्रतिपादित नहीं हैं उनके साथ परिचय करना परपापण्डसस्तव नामक पाँचवाँ अतिचार है ।

ऊपर बताये हुए पाँच अतिचार सम्यक्त्वधारी पुरुष के सम्यक्त्व में दोष उत्पन्न करते हैं अतः इनका त्याग करना सम्यक्त्वधारियोंका कर्तव्य समझना चाहिये ।

जिस आचार्य के द्वारा सम्यक्त्व धारण क्रिया हो उनका नाम स्थापन करना चाहिये । नाम स्थापन के लिये यह क्रोएक छोड़दिया जाता है—

श्रावकों के चारह व्रत

श्रावकों के व्रत चारह प्रकार के होते हैं। उन में पहले के पाच अनुव्रत और बीचके तीन गुणव्रत और पीछे चार शिखाव्रत कहलाते हैं। इनका स्वरूप और इनको धारण करनेका विधान शास्त्रानुद्धृत लिखा जाता है।

पहला व्रत (स्थूलप्राणातिपातविरमण) स्थूल प्राणियोंकी हिंसाका त्याग करना 'स्थूलप्राणातिपातविरमण' कहलाता है। इसका अभिप्राय यह है—जगत् में दो प्रकार के जीव होते हैं एक स्थूल और दूसरे सूक्ष्म। जो जीव सर्व साधारण को जीवरूप से प्रतीत होते हैं वे स्थूल जीव हैं जैसे द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय। ये सर्व साधारणको जीवरूप से प्रतीत होते हैं इसलिये ये स्थूल जीव हैं परन्तु जो सर्व साधारण के समझने में जीवरूप से प्रतीत नहीं होते किन्तु शास्त्रमर्मज्ञ तत्त्वदर्शी विद्वान् पुरुष के द्वाराही जीव प्रतीत होते हैं वे सूक्ष्म जीव हैं जैसे एकेन्द्रियप्राणी।

स्थूल जीव जो द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय प्राणी हैं उनकी हिंसाको स्थूल हिंसा या "स्थूल प्राणातिपात" कहते हैं और सूक्ष्म एकेन्द्रिय प्राणीकी हिंसाको सूक्ष्म हिंसा या "सूक्ष्म प्राणातिपात" कहते हैं। यहाँ स्थूल

प्राणियोंकी हिंसा के त्यागकाही ग्रहण किया है परन्तु सूक्ष्म प्राणियोंकी हिंसाका नहीं अतः स्थूल प्राणियोंकी हिंसा न करना श्रावक के पहले व्रतका स्वरूप है। इसमें यह जाननाभी आवश्यक है कि-स्थूल प्राणियोंकी हिंसा दो प्रकारकी होती है, एक सकल्पजा और दूसरी आरम्भजा। जो इच्छापूर्वक स्थूल प्राणी की हिंसा की जाती है वह सकल्पजा हिंसा है जैसे मास, चर्नी हड्डी, नख, दात, चमड़ा और रोम आदि के लिये लोग निरपराधी व्रत प्राणियोंकी हिंसा करते हैं। यह हिंसा इच्छा पूर्वक की जाती है इस लिये यह सकल्पजा हिंसा कहलाती है। दूसरी हिंसा वह है जो इच्छा न होनेपरभी मसझवश होजाती है जैसे रथ के भ्रमण से, तथा कृपिकर्म करते समय हल और कुदाल आदि के व्यापारसे एवं पृथिवीके खनन करनेसे गड्ढतसे कीड़े मकोड़े आदि व्रत प्राणी मारे जाते हैं। इन प्राणियोंको मारनेकी इच्छा न होते हुए भी उक्त व्यापारोंके द्वारा ये प्राणी मारे जाते हैं अतः इनकी हिंसा आरम्भजा कहलाती है।

सकल्पजा हिंसा जान बुझकर इच्छापूर्वक की जाती है और आरम्भजा हिंसा इच्छा न होने पर भी लाचारी से हो जाती है यही इन दोनोंका परस्पर भेद है।

गृहस्थ के द्वारा आरम्भजा हिंसा का त्याग सम्भव नहीं है क्योंकि आरम्भ के बिना गृहस्थका निर्वाह हो नहीं सकता है अतः निरपराधी प्राणीकी सकल्पजा हिंसाका त्याग ही

उसके व्रतमें लिया गया है परन्तु सापराधीनी एव आरम्भजा हिंसा का त्याग नहीं।

श्रमणोपासक पुरुष स्थूल प्राणीकी सखल्पजा हिंसा को जीवन पर्यन्त छोड़ देता है परन्तु इसमें योग और करण की मर्यादा अपनी अपनी इच्छा पर निर्भर है। आनन्द श्रावकने दो करण और तीन योगसे सखल्पजा हिंसा का त्याग किया था इस लिये अन्य श्रावकोंके लिये भी यही आदर्श उत्तम है।

यद्यपि यह मश्र होता है कि-श्रावक स्थूल प्राणियों की सखल्पजा हिंसा का ही त्यागी होता है आरम्भजा हिंसा का त्यागी नहीं होता ऐसी दशामें उसे स्थूल प्राणियोंकी हिंसासे विरत कैसे कह सकते हैं? यदि वह स्थूल प्राणियोंकी सखल्पजा हिंसा के समान ही आरम्भजा हिंसाको भी छोड़ दे तो वह स्थूल प्राणियोंकी हिंसा का त्यागी हो सकता है और उसके व्रतको स्थूल प्राणातिपात विरमण कह सकते हैं परन्तु वह आरम्भजा हिंसाको छोड़ता नहीं है अतः उसे स्थूल प्राणियोंका अहिंसक कहना ठीक नहीं।

इसका समाधान यह है कि। गृहस्थ जीवनमें कृषिर्म और गृहनिर्माण आदि कार्यय क्रिये विना निर्वाह नहीं हो सकता है और इन कार्यों के अनुष्ठान में आरम्भजा हिंसा हुए बिना रह नहीं सकती है, इसका त्याग गृहस्थ के लिये अशक्य है इस लिये वह निरपराधी स्थूल प्राणियोंकी केवल सखल्पजा

हिंसाको जोड़ देनेसे स्थूल प्राणियोंका अहिंसक माना जाता है अतः श्रावकोंके द्वारा स्थूल प्राणियोंकी आरम्भजा हिंसा के त्याग न होने परभी उस के प्रथम व्रतकी सिद्धि हो जाती है।

यहा दूसरा प्रश्न यह होता है कि-मनुष्य आरम्भजा हिंसा का त्याग न करता हुआ भी केवल सकल्पजा हिंसा के त्याग देनेसे यदि अहिंसक बन सकता है तो श्रावक स्थूल प्राणियोंका ही अहिंसक क्यों माना जाता है ? उसे सूक्ष्म प्राणियोंका भी अहिंसक मानना चाहिये क्योंकि वह इच्छापूर्वक सूक्ष्म प्राणियोंकी भी हिंसा नहीं करता है ऐसी दशामें श्रावक के प्रथम व्रतके नाममें स्थूलपद रखनेकी भी क्या आवश्यकता है ? किन्तु “सकल्पजसर्वप्राणातिपातविरमण” यह प्रथम व्रतका नाम होना चाहिये, तो इसका समाधान यह है कि-श्रावक इच्छापूर्वक ही पृथिवीकाय आदिका उपभोग करता है अतः वह सूक्ष्म प्राणियोंकी सकल्पजा हिंसा से निवृत्त नहीं है इसी कारण वह स्थूल प्राणियोंका ही अहिंसक माना जाता है सूक्ष्म प्राणियों का नहीं और उसके व्रतमें स्थूल पद जोड़ कर “वह सूक्ष्म प्राणियोंका अहिंसक नहीं है” यह स्पष्ट किया गया है।

श्रावक के पहले व्रतका स्वरूप उता दिया गया अत्र जिन कार्योंके अनुष्ठान करनेसे श्रावकोंके इस पहले व्रतमें दोष उत्पन्न होता है वे बनाये जाते हैं। 'अन्नं पश्यान् नरान् ज्ञेयं

उत्पन्न करने वाले अतिचार पाँच हैं—(१) बन्ध, (२) बन्ध, (३) छविच्छेद, (४) अतिभार, (५) भक्तपानव्यवच्छेद ।

(१) किसी प्राणिमो रस्सी आदिसे बाधना 'बन्ध' कहा जाता है ।

(२) किसी प्राणीको कोटा, चाबुज लाठी और डडा आदिसे पीटना 'बन्ध' है ।

(३) किसी प्राणीके शरीरको आरा (करवत) आदिसे चीरना छविच्छेद कहलाता है ।

(४) किसी प्राणीके कन्धे या पीठपर उसकी शक्तिसे अधिक भार चढाना अतिभार कहलाता है ।

(५) किसी प्राणीको भोजन और पानी नदेना भक्तपान व्यवच्छेद है ।

(इन अतिचारोंके विषयमें पूर्वाचार्यों का विचार)

रस्सी आदिके द्वारा प्राणीको बाँधनेका दो भेद है, एक तो दो पैरवाले मनुष्य आदिको बाधना और दूसरा चौपाये जानवर गाय भैंस और घोड़े आदिको बाँधना । फिर इसके भी दो भेद हैं एक अर्थ (प्रयोजन) से और दूसरा अनर्थसे ।

अनर्थसे किसी प्राणीकोभी बाँधना वर्जित है, अथ रहा अर्थबन्धन, वह भी दो प्रकारका होता है, एक सापेक्ष और दूसरा निरपेक्ष । मनुष्य या पशुको खूब मजबूती के साथ बाँधना निरपेक्ष बन्धन है यह कदापि नहीं करना चाहिये

क्योंकि यह अतिचार है इस लिये इससे श्रावकोंके प्रथम प्रतमें दोष उत्पन्न होता है।

(सापेक्ष वन्य के लक्षण)

कोमल रस्सी आदिके द्वारा जो ढीला बन्धन किया जाता है और अग्नि आदि का भय उपस्थित होने पर जिस वन्यन से आसानी के साथ प्राणी छूट सकते हैं वह सापेक्ष वन्यन है। वह सापेक्ष वन्यन श्रावकोंके प्रथम प्रतका अतिचार नहीं है परन्तु वहभी जो प्राणी बाँधे बिना नहीं रह सकते हैं उन्हीसा हो तो बुरा नहीं है अन्यथा बिना प्रयोजन ऐसा करना दोषके लिये ही होता है।

प्रतका स्वरूप और भेद भी वन्य के समान ही है अतः निरपेक्ष होकर निर्दयताके साथ किसी भी प्राणीको अनर्थताडन करना अतिचार है अतः ब्रतधारी श्रावकको सदा इससे बँचे रहना चाहिये।

ताडन करनेका अवसर आजाने पर प्राणीके जीवनकी परवाह रखते हुए उसके मर्मस्थानोंको बँचाकर लत्ता आदिके द्वारा सापेक्ष ताडन करने पर अतिचार नहीं होता है।

इसी तरह छविच्छेदभी अनर्थ के लिये कदापि न करना चाहिये। नाक, कान, हाथ पैर आदिका निर्दयताके साथ छेदन करना अतिचार है परन्तु फोडा और मेद आदिमे कत

पाते हुए प्राणीके दुःख निवारणार्थ उसके फोड़े और भेद आदिना छेदन भेदन या प्रज्वालन करना अतिचार नहीं है।

(अतिभार) हो सके तो श्रावकोंको प्राणियोंके द्वारा भार डोलाकर जीविका करनेका त्याग कर देना ही अच्छा है परन्तु दूसरी जीविका न होने के कारण लाचार होकर यदि यह कार्य करनाही पड़े तो इसका विचार यह है मनुष्य के ऊपर इतना अधिक भार न दे जिसको वह स्वयं अपने ऊपर उठा न सके और स्वयं नीचे उसे उतार न सके।

पशु के ऊपर रखा जानेवाला भार उसकी स्वाभाविक शक्ति से ज्यादा न हो तथा हल और गाड़ी में जोते हुए पशु ठीक समय पर छोड़ दिये जायँ। ऐसा करना अतिचार नहीं है। हाथी घाड़े और ऊट आदि के विषयमें भी यही बात जाननी चाहिये।

किसी प्राणीको भूखा प्यासा रखना श्रावकोंका कर्तव्य नहीं है। यदि कोई श्रावक ऐसा करे तो उस के मत में अतिचार होता है परन्तु रोग आदि की निवृत्ति के लिये रोगी प्राणी को यदि उपवास करना पड़े तो यह अतिचार नहीं है किन्तु यह मार्य रोगी का कल्याण कारक होने से अच्छा माना गया है।

हर एक कार्य करते समय प्रतधारी श्रावकोंको यह विवेक रखना चाहिये कि—उस के कार्य से किसी प्राणी का घात न होजाय।

इन अतिचारों के विषय में दूसरे आचार्योंका मत यह है—
 “वन्धवध छविच्छेद नतिभार भक्तपानव्युच्छेदम्।
 क्रोधादिदूषितमनाः गोमनुजादीनां न करोति ॥”

अर्थात् क्रोध आदिके घरा होकर किसी प्राणीका वन्ध, वध, छविच्छेद, अतिभार और भक्तपान व्यवच्छेद न करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से प्रथम व्रत में अतिचार आता है।

(दूसरा व्रत स्थूलमृपावादविरमण)

शूद्र बोलना मृपावाद कहलाता है। वह दो तरहका होता है, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। स्थूल वस्तु के विषय में दुष्ट अथवा साय से शूद्र बोलना स्थूल मृपावाद है, इस के पाँच भेद होते हैं, जैसे कि—(१) कन्या के विषय में (२) गाय के विषय में (३) भूमि के विषय में (४) न्यासापहार के विषय में (५) शूरी साक्षी देने के विषय में।

जो कन्या कुल शील तथा अहों से सम्पन्न है उसको दूषित बताना तथा जो इन से दूषित है उसको निर्दोष बताना कन्या के विषय में शूद्र बोलना है। यद्यपि यहा कन्या शब्द ही आया है तथापि वह मनुष्य मात्रका उपलक्षण (बोधक) है इस लिये किसी भी मनुष्य के विषय में शूद्र बोलना यहाँ वर्जित समझना चाहिये परन्तु कन्या के विषय में शूद्र बोलना लोक में बहुत निन्दित समझा जाता है इस लिये यहा उसीका ग्रहण किया गया है।

दूसरा स्थूल मृपावाद 'गवाही' यानी गाय के विषय में झूठ बोलना है। यहा भी गाय उपलक्षण है इस लिये गाय, भैंस, घोडा आदि चौपाये जानवरों के विषय में झूठ बोलना गवाहीरु समझना चाहिये।

(तीसरा स्थूल मृपावाद 'भूम्यलीरु' यानी भूमि के विषय में झूठ बोलना है)

यहा भूमि के विषय में झूठ बोलने का अभिप्राय केवल पृथिवी के विषय में झूठ बोलने से ही नहीं किन्तु फल, वृक्ष आदि चेतन और सोना चाँदी लोहा आदि अचेतन पदार्थों के विषय में झूठ बोलने से भी समझना चाहिये।

(चौथा स्थूल मृपावाद न्यासापहारालीरु)

किसी मनुष्य की धरोहर को हडप जाने के लिये झूठ बोलना न्यासापहारालीरु है। यद्यपि ऐसा करना चोरी है तथापि यह कार्य झूठ बोलकर किया जाता है इस लिये इसे मृपावाद में ही माना है।

(पाँचवाँ (कूट साक्ष्य) झूठी साक्षी देना स्थूल मृपावाद है)

किसी की घुराई करने के लिये या घूस लेकर झूठी गवाही देना कूट साक्ष्य कहलाता है।

इन पाँच प्रकार के स्थूल मृपावादोको दो करण और तीन योग से त्याग करना स्थूलमृपावादविरमण नामक दूसरा प्रत है।

(स्थूल मृषावाद विरमण व्रत के पाँच अतिचार)

(१) सहसाभ्याख्यान (२) रहस्याभ्याख्यान (३) स्वदार मन्त्रभेद (४) मृषोपदेश (५) कृत्लेखक्रिया। ये पाँच दूसरे व्रत के अतिचार हैं। अत्र क्रमशः इनके स्वरूप बताये जाते हैं—

(१) बिना सोचे विचारे किसी के ऊपर झूठा दोष लगाना, जैसे कि—“तू चोर है, तू जार है” इत्यादि सहसाभ्याख्यान कहलाता है।

(२) एकान्त में बैठ कर किसी विषयका विचार करते हुए मनुष्योको देखकर उनके ऊपर राजद्रोह आदिका अभियोग (अपराध) लगाना रहस्याभ्याख्यान कहलाता है।

यदि व्रत की परवाह न करके जान बूझकर सहसाभ्याख्यान या रहस्याभ्याख्यान किये जायें तो ये दोनों अनाचार में सम्मिलित होजाते हैं अतिचार में नहीं। यदि असावधानी से इनका आचरण हो जाय तो ये अतिचार माने जाते हैं।

अथवा किसी मनुष्य के ऊपर “कदाचित् यह ऐसा करता होगा” ऐसी शका करके मिथ्यादोष लगाना रहस्याभ्याख्यान रूप अतिचार है परन्तु जान बूझकर किसी के ऊपर मिथ्या दोष लगाना अनाचार है अतिचार नहीं।

(३) एकान्त में अपनी स्त्री के द्वारा कही हुई गोपनीय

(छिपाने योग्य) बातोंको दूसरों के सामने मरुट कर देना स्वदारमन्त्रभेद कहलाता है।

यहां यह सन्देह हो सकता है कि—अपनी स्त्री के द्वारा कही हुई बातों को दूसरों के सामने मरुट करनेवाले पुरुषने मिथ्या भाषण नहीं किया किन्तु अपनी स्त्री के द्वारा हुई सत्य बातोंको ही कहा फिर उसका यह सत्य भाषण अतिचार में कैसे गिना गया ? तो इसका उत्तर यह है कि—उक्त भाषण सत्य होने पर भी अपनी गुप्त बातों के मरुट होजानेसे लज्जा आदि के प्रश हो कर यदि स्त्री अपना या दूसरे का घात कर ढाळे तो इससे अनर्थ होने की सम्भारना है इसलिये सत्य होने पर भी अनर्थ का हेतु होने के कारण यह घात अतिचार में गिनी गई है।

(४) (चौथा अतिचार मृपोपदेश)

शूद्र बोलने का उपदेश करना मृपोपदेश कहलाता है। जान बूझ कर किसी को शूद्र बोलने का साक्षात् उपदेश करना तो अनाचार है परन्तु असावधानी से ऐसा हो जाय अथवा जिस सत्य भाषण से दूसरे की असत्य भाषण में प्रवृत्ति होना सम्भव हो उसका उपदेश करना मृपोपदेश अतिचार है। जैसे अपने पास सम्मति पूजने के लिये कोई मनुष्य आया हो तो उस से यदि यह कहाजाय कि—“अमुक समय शूद्र बोलकर मैंने अपना मार्ग कियाथा” तो इस से उस मनुष्य

की मिथ्या भाषण में प्रवृत्ति होना सम्भव है अतः सत्य होने पर भी यह उपदेश मृषोपदेश रूप अतिचार में सम्मिलित हो जाता है।

(पाँचवाँ अतिचार कूटलेखक्रिया)

किसी दूसरे मनुष्यके लेखके समान जाली लेख बनाना और उसपर उसीकी नकली मोहर छाप लगाकर सत्य लेखसा गढ़ देना कूटलेखक्रिया कहलाती है। यह कूटलेखक्रिया प्रमाद आदिसे की हुई अतिचार है परन्तु जान बूझकर ऐसा करना अनाचार है।

दूसरा व्रत समाप्त

तीसरा व्रत अदत्तादानविरमण

वस्तुके स्वामीकी आज्ञाके बिना उसकी वस्तुको ले लेना अदत्तादान कहलाता है। यह स्थूल और सूक्ष्म भेदसे दो तरहका है। दूसरेकी चीजको हजम करलेनेकी इच्छासे उसकी आज्ञा के बिना ले लेना स्थूल अदत्तादान है। भाव यह है कि जिससे चोरीका अपराध लग सकता है वह स्थूल अदत्तादान माना गया है।

किसी दूसरे की चीजको स्वामी की आज्ञा के बिना अच्छी नीयतसे ले लेना सूक्ष्म अदत्तादान है।

(स्थूल अदत्तादान के दो भेद)

सचित्त और अचित्त भेद से स्थूल अदत्तादान दो प्रकारका होता है।

दूसरे के गाय, भैंस, घोड़े, हाथी, आदि जानवर जागृते या गैर जागृते के साथ रखे हुए हों, अथवा उनका स्वामी उन्हें रखकर भूल गया हो, अथवा वे स्वयं आकर अपने तथुओं के झुण्ड में मिल गये हों, किसी प्रकार भी उन्हें चुराखेना सचित्त स्थूल अदत्तादान है।

दूसरोंकी सोना, चाँदी, बस्त्र और रत्न आदि अचित्त वस्तु जागृते या गैर जागृता के साथ रखी गई हो, या उनका स्वामी उन्हें भूल गया हो, उन वस्तुओंको हजम करने की नीयत से ले लेना अचित्त स्थूल-अदत्तादान है। इन दोनों स्थूल अदत्तादानोंको दो करण और तीन योग से त्याग करना अदत्तादान विरमण व्रत है।

(अदत्तादान विरमण व्रत के पाँच अतिचार)

(१) स्तेनाहत (२) तस्करप्रयोग (३) विरुद्धराज्यातिक्रम (४) कृतुला हटमान (५) तन्प्रतिरूपव्यवहार।

ये पाँच अदत्तादानविरमण व्रत के अतिचार हैं।

अल्प मूल्य में प्राप्त होने के लोभसे चोरीकी वस्तु को सरीदना स्तेनाहत कहलाता है।

चोरी करने के लिये चोरों को उत्साह देना तस्कर प्रयोग कहलाता है। ये कार्य यदि परतन्त्रता आदि कारणों से विवश हो कर किये जायें तो अतिचार हैं परन्तु उक्त कारण के बिना जान बूझकर ऐसा करना अनाचार है।

जिस राजा के राज्य में निवास करते हैं उसकी आज्ञा के बिना उस के विरोधी राज्य में प्रवेश करना विरुद्ध राज्यातिक्रम है।

तराजू या माँप के द्वारा अधिक वस्तु लेना और कम देना कूट तुला और कूट मान अतिचार है। यह कार्य भी प्रमाद आदि ढोप से हो जाय तो अतिचार है अन्यथा जान बूझकर ऐसा करना अनाचार है।

(पाँचवाँ अतिचार तत्प्रतिरूपक व्यवहार)

इसका व्यवहार दो तरहका है। एक तो यह है कि-समान रूपवाली कम कीमती वस्तु को अधिक मूल्यवाली वस्तु में मिलाकर अधिक मूल्य से बेचना, जैसे-घटिया चावलको उत्तम चावल में मिलाकर अच्छे चावल के भाव से बेचना इत्यादि। दूसरा यह है कि-रूप रङ्गमें समान वस्तुको दूसरी वस्तु के नाम से बेचना, जैसे चर्वीको घी बताकर बेचना आदि। ये दोनों ही तत्प्रतिरूपक व्यवहार में हैं। यदि भूल से यह कार्य हो जाय तो अतिचार है नहीं तो जान बूझकर ऐसा करना अनाचार है।

(चौथा व्रत स्वदाग सन्तोष-परदारविरमण)

अपनी विवाहिता स्त्रीमें सन्तोष रखते हुए परस्त्री गमन को वर्जित करना स्वदारसन्तोष परदारविरमण व्रत है। परदारार्थे दो प्रकार की होती है, एक औदारिक शरीरवाली और दूसरी वैक्रिय शरीरवाली। मनुष्य और तिर्पेश्व जाति की स्त्रियाँ औदारिक शरीर वाली हैं और देव जाति की स्त्रियाँ वैक्रिय शरीरवाली हैं। इन दोनों ही जाति की स्त्रियों को न्याय कर केवल अपनी विवाहिता स्त्रीमें ही सन्तुष्ट रहना परदार विरमण व्रत कहलाता है श्रावण श्राविसाओंको जीवन पर्यन्त इस व्रतका पालन करना चाहिये।

इस चौथे व्रत के पाच अतिचार होते हैं

(१) इत्वरपरिगृहीता गमन (२) अपरिगृहीता गमन (३) अनङ्क्रीडा (४) परविवाहकरण (५) कामभोगतात्राभिलाष।

(इत्वरपरिगृहीतागमन)

किसी अन्य स्त्रीको नियत समय तक अपने आधीन रखकर उसके साथ भैयुन सेवन करना 'इत्वरपरिगृहीता गमन' कहलाता है। यह पहला अतिचार माना गया है। यह अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचारकी सीमा के अन्दर जगतक रहता है तत्रतक अतिचार माना जाता है परन्तु अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचारकी सीमाको उल्लङ्घन करने पर यह अनाचार है अतिचार नहीं। किसी

कार्य के करनेका सकल्प करना, जैसे कि—“मैं जम्बू कार्य करूंगा” ‘अतिक्रम’ कहलाता है और सकल्प किये हुए कार्यकी सिद्धि के लिये संयोग जोड़ना ‘व्यतिक्रम’ माना जाता है एवं संयोग होजाने पर मैथुन सेवन आदि कार्यों के स्पर्श आदि वाहरी क्रियाओंका अनुष्ठान करना अतिचार कहलाता है। परन्तु साक्षात् मैथुन सेवन करना अनाचार है अतिचार नहीं।

(अपरिगृहीतागमन)

जिस स्त्रीका पाणि ग्रहण करनेवाला पति न हो अथवा हो कर मर गया हो ऐसी कोई वेश्या अथवा विधवा स्त्री तथा अविवाहिता कन्या आदि के साथ मैथुन सेवनका सकल्प करना या उसका संयोग जोड़ना अथवा उन स्त्रियों के साथ मैथुन सेवन का बहिरङ्ग उपचार स्पर्श आदि करना अपरिगृहीतागमन कहलाता है। इन स्त्रियों के साथ साक्षात् मैथुन सेवन करना, अतिचार नहीं किन्तु अनाचार है।

(तीसरा अतिचार अनङ्गक्रीडा)

मोहकी प्रबलता से मैथुन सेवन की तीव्र इच्छा के कारण काष्ठ, फल, मिट्टी और चमड़े आदि की बनी हुई योनि में अमाकृतिक दुराचार करना, तथा अपनी स्त्रीके भी मुख, स्तन, काख, उरु आदि अङ्गों में काम सेवन करना तथा हस्तकर्म करना ‘अनङ्गक्रीडा’ है।

स्वदार मन्तोप तथा परदार विमरण त्रत धारण करनेवाले उद्देश्य अपनी काम प्रवृत्तिको न्यून करना है वृद्धि करना नहीं। इसलिये काम प्रवृत्ति के वर्धक कार्योंका अनुष्ठान करना इस त्रत के धारण करने वाले पुरुषको उचित नहीं है अतः इस त्रतको धारण करनेवाला पुरुष यदि काष्ठ, फल, मिट्टी तथा चर्मकी बनी हुई योनि में अथवा अपनी स्त्रीके भी मूल स्तन आदि अङ्गों में मैथुन सेवन करे अथवा हस्तकर्म आदि अमा कृतिरु मैथुन करे तो वह अपनी काम प्रवृत्तिको वृद्धि करता है न्यून नहीं करता है अतः उक्त कामोंका सेवन इस त्रत का अतिचार है।

(चौथा अतिचार-परत्रिवाहकरण)

जिस पुरुषने स्वदार मन्तोप तथा परदारविमरण त्रतको धारण किया है वह दूसरेकी काम प्रवृत्तिको भी नहीं बढ़ाता है इसलिये वह जिस कार्य से दूसरे की काम प्रवृत्ति बढ़ती है वह कार्य भी नहीं करता है। इस त्रत को धारण करनेवाला पुरुष यदि मोह में पड़कर या कन्यादान से स्वर्गादिनी प्राप्ति होती है यह समझकर अपने अथवा अपने कुटुम्ब के सन्तानो से भिन्न दूसरे पुरुष या कन्याका विवाह करावे तो वह अतिचारका सेवन करता है क्योंकि उसका यह कार्य दूसरेकी मैथुन प्रवृत्ति वर्धक है अतः इस त्रतका परत्रिवाहकरण अतिचार माना जाता है।

११ (पाचवा अतिचार कामभोगतीव्रामिलाप)

शब्द और रूपको काम कहते हैं तथा गन्ध, रस और स्पर्शको भोग कहते हैं इन दोनोंकी अत्यधिक इच्छा करना कामभोगतीव्रामिलाप कहलाता है ।

जिस पुरुषने स्वदारसन्तोष तथा परदारत्रिमण रूप व्रतको धारण करके अपनी काम प्रवृत्ति को न्यून किया है वह यदि वाजीकरण आदि शक्तिवर्धक औषधियोंका सेवन करके अपनी स्त्रीके साथ भी निरन्तर कामभोगकी वृष्णा करे तो उसके व्रतमें अतिचार (दोष) उत्पन्न होता है अतः उक्त व्रतधारीका यह कर्तव्य नहीं है । वस्तुतः शरीरमें ऋणरोग उत्पन्न करके अग्निसेवनकी इच्छा करना जैसे मूर्खता है इसीतरह वाजीकरण आदि औषधियोंका सेवन करके मैथुनप्रवृत्तिको बढ़ाना मूर्खता है । चौथा व्रत और उसके अतिचार कह दिये गये ।

(पाचवाँ इच्छापरिमाणव्रत)

मनुष्य, हाथी, घोडा, गाय, भैंस आदि सचेतन पदार्थ और रत्न, सोना, चाँदी तथा वस्त्र आदि अचेतन वस्तु इन दोनों प्रकारके परिग्रहोंकी अपने पास रखनेकी कोई मर्यादा (अवधि) नियत करना इच्छापरिमाण व्रत कहलाता है । इस व्रत में मर्यादा नियत करनेका कोई नियम नहीं है अतः सभी श्रावक अपनी अपनी इच्छा और शक्तिके अनुसार परिग्रहों कायम कर सकते हैं । परन्तु इस

धारण करनेका उद्देश्य अपनी तृष्णाको न्यून करना है इसलिये मर्यादा नियत करने के समय अपनी तृष्णाकी न्यूनताके ऊपर ध्यान रखकर मर्यादा कायम करनी चाहिये। नीचे लिखी हुई वस्तुओंके विषयमें अपनी अपनी इच्छानुसार मर्यादा नियत करनी चाहिये, जैसेकि—

(क्षेत्रकी मर्यादा नियत करना)

जिसमें गेहूँ चने आदि बोए जाते हैं उस पृथिवीको क्षेत्र कहते हैं उसके विषयमें कोई अवधि नियत करना जैसेकि—
“मैं इतने क्षेत्र से अधिक क्षेत्र अपने पास न रखूंगा” क्षेत्रकी मर्यादा नियत करना है।

(गृहकी मर्यादा नियत करना)

हवेली, महल, बगला और मकान आदिकी मर्यादा कायम करना गृहकी मर्यादा कायम करना है।

(हिरण्यकी मर्यादा कायम करना)

चाँदी और सोना आदिकी मर्यादा नियत करना हिरण्यकी मर्यादा नियत करना है।

(धनके विषयमें मर्यादा नियत करना)

सोना आदिके विषयमें मर्यादा कायम करना धनके विषयमें मर्यादा नियत करना है। तथा गेहूँ चने आदि अन्नोंके विषयमें मर्यादा कायम करना धान्यके विषयमें मर्यादा कायम करना है। अपनी अपनी इच्छाके अनुसार श्रावणोंको

ऊपर लिखी हुई वस्तुओंके विषयमें मर्यादा कायम करनी चाहिये। आनन्द श्रावकने ऊपर लिखी हुई वस्तुओंकी मर्यादा इस प्रकार की थी उसने १२ कोटि रकमको तीन भागोंमें बाँटकर अपने पास रखनेकी मर्यादा कायम की थी इससे अधिक रखनेका त्याग कियाथा। तथा पाँच सौ इलोंसे जोत-सरुने योग्य जमीन को रखकर अधिक क्षेत्र रखने का त्याग कियाथा, एव चौपाये जानवरोंमें ४०००० गायोंको रखनेकी अवधि नियत करके अधिक के रखनेका त्याग कियाथा। तथा एक हजार गाड़ियाँ और चार छोटी और चार बड़ी जहाजोंको रखनेकी अवधि कायम करके शेषका त्याग कियाथा इसी तरह सभी श्रावकोंको अपनी अपनी इच्छाके अनुसार अपने अपने परिग्रहोंकी अपने पास रखनेकी मर्यादा नियत करनी चाहिये।

यहा यह सन्देह होता है कि आनन्द श्रावकने जिस समय श्रावकोंके चारहव्रत धारण किये थे उस समय उसके पास चारह कोटि मोहर और ४०००० चालीस हजार गायें थीं, आनन्द श्रावकने इतनी ही गायों और मोहरोंको रखनेकी मर्यादा कायम करके शेषका त्याग कियाथा परन्तु उसके शृङ्गास कालकी समाप्ति पर्यन्त इन मोहरोंकी वृद्धिकी जो रकम उत्पन्न हुई होगी और गायोंसे जो गोवशकी वृद्धि हुई होगी उनको उसने क्या किया? यदि अपने पास रखा होगा तो मर्यादा कायम नहीं रह सकती है और यदि

न रसा हो तो उन्हें क्या कियाथा ?। इसका समाधान यह है कि आनन्दने टुट्टिके रसको परोपकारमें लगादिया होगा तथा बड़ीहुई गायोंको दानमें देदिया होगा ? नहीं तो उनकी खतनी ही मरया बना रहना असम्भव है अतः श्रावणोंमें परोपकार वृत्तिके सदा ध्यान रखना चाहिये !

(इच्छापरिमाणव्रतके पाँच अतिचार)

(१) क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रम (२) हिरण्यमुवर्णप्रमाणातिक्रम (३) द्विपदचतुष्पदप्रमाणातिक्रम (४) धनधान्यप्रमाणातिक्रम (५) बुष्यप्रमाणातिक्रम । ये पाँच इच्छापरिमाणव्रतके अतिचार हैं ।

(१) नदी, या वृष्टिके जलसे सींचकर जिस भूमिमें अन्न आदि उत्पन्न क्रिय जाते हैं उस भूमिको क्षेत्र कहते हैं । मरानको 'वाम्नु' कहते हैं यह तीन प्रकारका होता है । एक भूमि गृह, जो जमीनके अन्दर बना हुआ होता है । दूसरा वह, जो जमीनके ऊपर बना हुआ होता है । तीसरा वह, जो कुछ भूमिके अन्दर और कुछ ऊपर बना हुआ होता है ।

पहले कहे हुए क्षेत्र और गृहके विषयमें जो मर्यादा कायम की गई हो उसको उल्लङ्घन करना 'क्षेत्रवाम्नुप्रमाणातिक्रम' कहलाता है ।

(हिरण्यमुवर्णप्रमाणातिक्रम)

सिक्के या दागीने के रूपमें गढ़कर बनाई हुई या बिना

बनाई हुई चाँदी और जेवर तथा मोहरके रूपमें गढे हुए या बिना गढे हुए सोने के सम्बन्धमें श्रावकने जो मर्ग्यादा काय-म नी हो उस मर्ग्यादाका उल्लङ्घन करना 'हिरण्यसुवर्णप्रमाणातिक्रम' है यह कार्य यदि भूठसे होजाय तो अतिचार है अथवा जान बूझकर ऐसा करना अनाचार समझना चाहिये । यदि किसी श्रावकने किसी खास अवधितक मर्ग्यादा ले रखी हो, जैसे कि "मैं पाँच वर्षतक इतना ही हिरण्य सुवर्ण रगूगा अधिक नहीं" उस श्रावक को यदि कोई राजा महाराजा आदि उसकी मर्ग्यादा से अधिक हिरण्य सुवर्ण देवे तो वह यदि मर्ग्यादासे अधिक द्रव्यको दूसरेके पास अथवा पूरी होने पर छेलेनेकी इच्छा से रख दे तो यह कार्य उस श्रावकके प्रतका अतिचार समझना चाहिये ।

(तीसरा अतिचार द्विपदचतुष्पदप्रमाणातिक्रम)

दास दासी आदि मनुष्य तथा हस और मोर आदि पक्षी द्विपद है एव हाथी, घोडा और गाय भस आदि जानवर 'चतुष्पद' है इन दोनोंके सम्बन्धमें प्रतयारी श्रावकने जो मर्ग्यादा नियत की हो उस मर्ग्यादाको भूलसे अथवा प्रतकी अपेक्षा रखकर उल्लङ्घन करना द्विपदचतुष्पदप्रमाणातिक्रमरूप अतिचार है ।

(चौथा अतिचार घनधान्यप्रमाणातिक्रम)

गुड शकर वगैरह घन कहलाते हैं और शाली, कोदर, मूग, और गेहूँ चने आदि अन्न धान्य कहलाते हैं, इनके विष-

यमें श्राव करने जो मर्त्यादा कायम की है उसको उलट्टन करना धनधान्यप्रमाणातिक्रम रूप अतिचार है। यह कार्य यदि भूलसे हो जाय अथवा प्रतकी अपेक्षा रखकर किया गया हो तो अतिचार है अन्यथा अनाचार समझना चाहिये।

(पाचवाँ अतिचार कुप्यप्रमाणातिक्रम)

आसन, शय्या, और पात्र आदिके विषयमें श्राव करने जो मर्त्यादा कायम की हो उसको उलट्टन करना 'कुप्यप्रमाणातिक्रम' रूप अतिचार है। यह कार्य यदि भूलसे अथवा प्रतकी अपेक्षा रखकर किया गया हो तो अतिचार है नहीं तो जान बूझकर ऐसा करना अनाचार है।

पूर्वोक्त श्रावकोंके पाँच प्रत 'अनुप्रत' कहलाते हैं। इन अनुप्रतोंके पालन करने में पूरी सहायता देनेवाले प्रत गुणप्रत कहलाते हैं। इनके तीन भेद हैं, जैसेकि—(१) दिग्प्रत, (२) उपभोगपरिभागप्रमाग प्रत (३) अनर्धदण्डवर्जन प्रत। ये तीनों प्रत गुणप्रत कहलाते हैं।

(१) पूर्व आदि दिशाओंमें जाने आने या किसीको मंत्रनेनी मर्त्यादा कायम करना, जैसेकि "मैं पूर्व आदि दिशाओंमें इतने कोशसे अधिक न जाऊंगा या किसीको न मंत्रूंगा" दिग्प्रत कहलाता है यह तीन प्रकारका होता है।

(१) उर्ध्वदिग्प्रत (२) अधोदिग्प्रत (३) और तिर्यग् दिग्प्रत। ऊपरकी दिशाओं में अर्थात् पर्वत आदिके ऊपर चढ़ने और उतरनेकी मर्त्यादा कायम करना जैसेकि "मैं

पर्वत आदि ऊँचे स्थानों पर इतनी दूरसे ज्यादा न चढूगा” इत्यादि ऊर्ध्वदिग्रत कहलाता है

तालाव, बावडी और कूप आदि नीचे के स्थानों में चढने और उतरनेकी मर्यादा कायम करना अधोदिग्रत कहलाता है

पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में तथा वायव्य आदि कोणों में अपने आने जानेकी मर्यादा कायम करना तिर्यग् दिग्रत कहलाता है ।

दिग्रतोंके धारण करनेसे नियत की हुई मर्यादासे बाहरके जीवोंका घात व्रतधारी श्रावकके द्वारा नहीं होता है इसलिये इस व्रतका धारण आवश्यक है ।

दिग्रतके पाच अतिचार)

- (१) ऊर्ध्वदिग्रत प्रमाणातिक्रम
- (२) अधोदिग्रतप्रमाणातिक्रम
- (३) तिर्यग्दिग्रतप्रमाणातिक्रम
- (४) क्षेत्रटद्धि (५) स्मृतिभ्रश ।

(१) ऊपरकी दिशामें अर्थात् पर्वत आदि के ऊपर चढने उतरने आदिनी जो मर्यादा श्रावकने नियत की है उसको उल्टहन करना यानी उससे अधिक देशतरु जाना आना ‘ऊर्ध्वदिग्रतप्रमाणातिक्रम’ है । यह भूलसे हो जाय

अतिचार है अन्यथा जान घुसकर ऐसा करना अनाचार समझना चाहिये ।

(२-३) नीचेकी दिशा और तिर्यग् दिशाओंमें जो अवधि कायम की हा उसको भूल से भङ्ग करदेना अतिचार समझना चाहिये ।

(४) (क्षेत्रवृद्धि)

पूर्व आदि दिशाओं में आने जाने के लिये जो क्षेत्र नियत किया गया हो, उस को त्रुती अपेक्षा रखते हुए बढ़ा देना क्षेत्रवृद्धि कहलाता है । जैसे किमी श्रावकने पूर्व दिशा में आने जाने के लिये मौ योजनकी मर्यादा कायम की है और पश्चिम दिशामें दश योजन की अवधि नियत की है, उस श्रावक को पश्चिम दिशा में दश योजन से अधिक क्षेत्र में जानेका कार्य्य उपस्थित होनेपर वह यदि पूर्व दिशा के कुछ योजनों को पश्चिम दिशा में मिलाकर पश्चिम दिशा के क्षेत्रकी वृद्धि करे तो यह क्षेत्रवृद्धि नामक अतिचार है । ऐसा करनेवाले श्रावकने अपने त्रुती अपेक्षा रखकर क्षेत्रवृद्धि की है इस लिये इसका यह कार्य्य अतिचार है अनाचार नहीं है ।

(५) (स्मृतिभ्रंश)

जिस दिशा में जाने आनेके लिये जितनी मर्यादा नियत की है उसको भूल जाना, अथवा नियत की हुई मर्यादा पूरी न होने पर भी पूरी होनेका सन्देह होने पर आगे चलाजाना स्मृतिभ्रंश नामक अतिचार है ।

जिस श्रावकने पूर्व दिशा में तथा पश्चिम आदि दिश ११ में जाने जाने के लिये जो मर्त्यादा नियत की है उस मर्त्यादा को यदि वह याद न रखे किन्तु भूल जाय तो वह स्मृति भ्रंश नामक अतिचारका दोषी होता है तथा जिसने अपनी नियत की हुई मर्त्यादा को विस्मृत तो नहीं किया है परन्तु "मैं अपनी मर्त्यादा तक आ गया हूँगा" ऐसा सन्देह होने पर भी आगे चला जाता है तो वह भी स्मृतिभ्रंश नामक अतिचारका दोषी होता है।

दिग्गत और उस के अतिचार समाप्त हुए।

(सातवाँ उपभोग परिभोग व्रत)

एक ही वार भोग करने योग्य भोजन और पान आदि पदार्थ उपभोग कहलाते हैं और वार वार भोगे जाने योग्य वस्त्र, भूषण और स्त्री आदि पदार्थ परिभोग कहलाते हैं इन दोनों का प्रमाण नियत करना उपभोगपरिभोग व्रत कहलाता है। यह व्रत दो प्रकारका होता है, एक भोजन से और दूसरा र्म से।

उपभोग करने योग्य भोजन और पान आदि पदार्थोंका तथा परिभोग करने योग्य वस्त्र और भूषण आदि पदार्थों का प्रमाण निश्चित करना अर्थात् "मैं अम्लक अम्लक वस्तुको ही अपने उपभोग परिभोग में रखूँगा इन से भिन्न पदार्थों को न रखूँगा" ऐसी सख्या नियत करना भोजन से उपभोग

परिभोग त्रत है और उपभोग तथा परिभोग के योग्य पदार्थोंकी प्राप्ति के लिये उद्योग धन्योसा प्रमाण करना जैसे कि—“ मैं अमुक अमुक उद्योग धन्यो से ही अपने उपभोग और परिभोग की वस्तुओं का उपार्जन करूंगा दूसरे कार्यों से नहीं ” कर्म से उपभोगपरिभोग त्रत समझना चाहिये। इस त्रतकी विशेष विधि नीचे लिखी जाती है—

(उल्लणियाविहिपरिमाण)

स्नान करने के पश्चात् जठ से भीगे हुए शरीर को पोंउने के लिये गमछा आदि वस्त्र जातिका प्रमाण निश्चित करना ‘उल्लणियाविहिपरिमाण’ कहलाता है। आनन्द श्रावकने स्नान के पश्चात् भीगे हुए अपने शरीर को पोंउने के लिये थोडासा रक्त और सुवासित गमछेका नियम किया था।

(दन्तवणविहिपरिमाणम्)

दात के मल को साफ करने के लिये काष्ठ के दातन आदिना प्रमाण नियत करना ‘दन्तवणविहिपरिमाण’ कहलाता है। आनन्द श्रावकने हरी मुलहठी के काष्ठ से दात साफ करने की मर्यादा नियत की थी।

(फलविहिपरिमाणम्)

स्नान करने के पूर्व शिर धोने के लिये आँवछे आदि फलेका प्रमाण नियत करना “फलविहि परिमाण” कहलाता है। आनन्द श्रावक ने स्नान के पूर्व अपना शिर धोने के लिये

जिस में गुठली उत्पन्न न हुई हो ऐसे मीठे आँवले के फलका नियम कियाथा ।

(अञ्भंगणविहिपरिमाणम्)

स्नान करने के पूर्व शरीर में मर्दन करने योग्य तेल आदि का प्रमाण निश्चित करना, ' अञ्भंगणविहिपरिमाण ' है । आनन्दने सौ औषधियों को डालकर बनाये हुए शतपाक तेल और हजार औषधियों को मिलाकर बनाये हुए सहस्रपाक तेलको स्नान के पूर्व मर्दन करने का नियम कर रखाथा ।

(उवट्टनविहिपरिमाणम्)

स्नान करने के पूर्व शरीर में लगे हुए तेल को शोषण करने के लिये जो पिट्टी आदि लगाई जाती है उसका प्रमाण निश्चित करना ' उवट्टनविहिपरिमाण ' कहलाता है ।

आनन्द श्रावकने अपने शरीर में लगे हुए तेलको शोषण करने के लिये कमलो के पराग और सुवासित गेहूँ के आटेका प्रमाण कर रखाथा ।

(मज्जनविहिपरिमाणम्)

स्नान करने के लिये जलका प्रमाण निश्चित करना मज्जनविहि परिमाण कहलाता है ।

आनन्द श्रावकने अपने स्नान के लिये औष्ट्रिक आठ सठे जलका प्रमाण कियाथा ।

(चत्थविहिपरिमाणम्)

पहनने और ओढने योग्य वस्त्रोंका प्रमाण करना वस्त्र विधि परिमाण कहलाता है।

आनन्द श्रावणने अपने पहनने और ओढने के लिये स्पास के बने हुए दो वस्त्रोंका ही नियम कर रखाया।

(विलेचणविहिपरिमाणम्)

स्नान करने के पश्चात् अपने शरीर में लेपन करने योग्य चन्दन और केशर आदि सुगन्ध द्रव्योंका प्रमाण निश्चित करना ' विलेपनविधिपरिमाण ' कहलाता है। आनन्द श्रावणने अपने शरीर में लेपन करने के लिये चन्दन, केशर, और अगर आदि सुगन्ध द्रव्योंकी मग्यादा कायम कीथी।

(पुष्पविहिपरिमाणम्)

स्नान करने के पश्चात् शरीर में धारण करने योग्य फूल माला आदि पदार्थोंका प्रमाण करना ' पुष्पविधिपरिमाण ' है। आनन्द श्रावणने स्नान करने के पश्चात् धारण करने के लिये गिछे हुए कमल और चमेली के फूलोंकी माला का प्रमाण कियाथा।

(आभरणविहिपरिमाणम्)

अपने शरीरकी शोभा के लिये धारण किये जाने वाले गहनें और जेवर आदिका प्रमाण करना ' आभरणविधिपरिमाण ' कहलाता है। आनन्द श्रावणने अपने शरीरकी शोभा

के लिये स्वच्छ और एक रगवाले कुण्डल तथा नामाङ्कित मुद्रिका (अँगूठी) धारण करनेका प्रमाण कियाथा ।

(धूवणविहिपरिमाणम्)

वस्त्र और शरीरको सुगन्धित करने के लिये धूप देने योग्य पदार्थोंका प्रमाण करना 'धूवणविहिपरिमाण' कहलाता है। आनन्द थावरूने धूप देनेके लिये अगर जौर सोन्धारस आदि द्रव्योंका प्रमाण कियाथा ।

(भोयणविहिपरिमाणम्)

भोजन करने योग्य पदार्थोंका प्रमाण करना 'भोयण-विहि परिमाण' कहलाता है । इसके निम्नोक्त भेद है

(पेजविहिपरिमाणम्)

भोजन के समय पीने योग्य द्रव्य आदि पदार्थोंका प्रमाण करना 'पेयविधि प्रमाण' कहाजाता है । आनन्द थावरूने भोजन के समय पीने के लिये गुँगकी दाल और घी मिलाये हुए चावल के जलका प्रमाण कियाथा ।

(भक्खविहिपरिमाणम्)

खाने के लिये पकान्न आदिका प्रमाण निश्चित करना 'भक्खविहि परिमाण' कहलाता है । आनन्द थावरूने अपने खानेके लिये घेवर और खाडसे लिप्त खाजेका प्रमाण कियाथा ।

(ओदणविहिपरिमाणम्)

अपनी सुधाकी निवृत्ति के लिये चावल आदि के भात आदि पदार्थोंका प्रमाण करना 'ओदनविधि प्रमाण' कहाजाता है ।

(जेमणविहिपरिमाणम्)

बड़ा पकौड़ी आदि खाने के योग्य पदार्थोंका प्रमाण करना 'जेमणविहिपरिमाण' कहलाता है। आनन्द श्रावकने तख्तर छाल दही, और कानी आदि खट्टी चीजों में भींगेये हुए भूग आदि के दालके घड़े और पकौड़ी आदिका प्रमाण कियाया। आनन्द इसको दही का बड़ा, कानीका बड़ा और दालिया आदि कहते हैं।

(पाणियविहिपरिमाणम्)

पीने के लिये पानीका प्रमाण निश्चित करना 'पाणिय-विहि परिमाण' कहलाता है। आनन्द श्रावकने गिरते के साथ टाकी आदि के द्वारा पड़े हुए आकाश के पानीका अपने पीने के लिये प्रमाण नियत कियाया।

(मुहवासविहिपरिमाणम्)

अपने मुखको मुवासित करने के लिये 'पान' और चूर्ण आदि पदार्थोंका प्रमाण निश्चित करना 'मुहवामविहिपरिमाण' कहलाता है। आनन्द श्रावकने अपने मुखको मुवासित करने के लिये खजूर, कपूर, कायफल, जायफल और इलायची डाले हुए पानका प्रमाण कियाया।

ऊपर दहे हुए उपभोग परिभोग प्रमाण व्रतकी समाचारी में आसक्तका भन्तव्य यह है-उपभोगपरिभोगप्रमाण व्रतको

उपभोग परिभोग के योग्य जितने पदार्थ देवदाल के अदुगार के हैं उनही भी मयादा करना श्रावकों का धर्मव्य है परन्तु ऊपर ३३ नियम उपलक्षण हैं।

धारण किये हुए श्रावण उत्सर्गसे प्राप्त वस्तुका ही आहार किया करते हैं परन्तु प्राप्त वस्तु न मिलने पर अपने शरीरकी रक्षाके लिये वे सचित्तको छोड़कर अचित्त अप्राप्त वस्तुका भी आहार करते हैं। दैववश अचित्त अप्राप्त वस्तु भी जब नहीं मिलती है तब वे अनन्तकाय और बहुबीजयुक्त पदार्थोंको वर्जित करके शेष वस्तुओं से अपने शरीर की रक्षा करते हैं।

(चतुर्विध आहारों में वर्जनीय वस्तु)

अशन में अनन्तकाय आदी, कादा (प्याज) लथुन आदि जमीरन्द तथा सब प्रकार के मास वर्जित हैं। एव पीने योग्य पदार्थों में मासका रस, चर्बी और मदिरा आदि त्यागने योग्य हैं तथा खाने पदार्थों में गुलर, काकोदुम्बर (तिमर) बट, पीपल और पलाश आदि निन्दित हैं एव स्वाद्य पदार्थोंमें शहत आदि वर्जित है।

भोजन से उपभोग परिभोग प्रमाण व्रत के धारण की विधि बता दी गई अतः इसके अतिचार बताये जाते हैं

(भोजन से उपभोग परिभोग व्रत के पाच अतिचार)

(१) सचित्ताहार (२) सचित्तप्रतिग्राहण (३) अपकौपधिभक्षण (४) दुष्पकोपधि भक्षण (५) तुच्छौपधिभक्षण। ये पाच भोजनतः उपभोग परिभोग व्रत के अतिचार होते हैं।

(सचित्ताहार)

सचित्त पदार्थों के भक्षणका त्यागी श्रावण के द्वारा सचित्त कन्द, मूल, फल, फूल तथा पृथिवीकाय नमक आदि

का भक्षण किया जाना सचित्ताहार नामक अतिचार है। प्रत धारी श्रावक यदि भूल से सचित्त वस्तुका भक्षण करलेवे अथवा सचित्त वस्तु में यदि उसका अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार हो जाय तो उसे अतिचार कहना चाहिये अन्यथा जानबूझकर सचित्त वस्तुका भक्षण करना अनाचार है अतिचार नहीं है।

(सचित्तप्रतिवद्धाहार)

जिस श्रावकने सचित्त वस्तुका आहार करना त्याग किया है उसके द्वारा सचित्त वृक्ष में लगी हुई गोद, तथा सचित्त बीजवाले आम और खजूर आदि फलोका भूलसे भक्षण किया जाना अथवा इन में अतिक्रम, व्यतिक्रम, और अतिचार हो जाना अतिचार है परन्तु जान बूझकर ऐसा करना अनाचार है अतिचार नहीं।

(सचित्त प्रतिवद्धाहारकी दूसरी व्याख्या)

“ नीरी या दलको खाजाऊगा और गुठलीको धूरू दूगा ” इस विचार से सचित्त बीज से युक्त फलको अपने मुख में डालना ‘ सचित्तप्रतिवद्धाहार ’ कहलाता है। कहीं कहीं सचित्त प्रतिवद्धाहार के स्थान में ‘ सचित्तसमिश्राहार ’ यह पाठ पाया जाता है। इसका अर्थ, सचित्त से मिले हुए अचित्त पदार्थको आहार करना है। अथ पके खरबूजे ककड़ी जल आदि, दाडिमबीज, तथा आधे कूटे हुए तिल, यव और धान आदि अन्न ‘ सचित्तसमिश्राहार ’ है। इन में पके हुए और कूटे हुए अश अचित्त और कच्चे तथा बिना कूटे अश

सचित्त है अतः अचित्त के त्यागी पुरुष के लिये ये भक्षण करने योग्य नहीं हैं।

(अपकौपधि भक्षण)

जो औपधि पकी हुई नहीं है उस का खाना (अपकौपधिभक्षण) कहलाता है। कच्चा चिउड़ा चावल, और यव आदि धानों को भूल से खा जाना अथवा इन में अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार हो जाना अतिचार है परन्तु जान बूझकर उक्त ऋची औपधियों को खाना अतिचार नहीं किन्तु अनाचार है।

यहाँ यह सन्देह होता है कि—ऋची औपधिया सचित्त हैं अचित्त नहीं है इस लिये इनका भक्षण सचित्ताहार में ही आ जाता है फिर सचित्ताहार से अलग अपकौपधिभक्षण को लिखने की क्या आवश्यकता है ? इसका समाधान यह है कि—खाने योग्य पदार्थों में सर से प्रधान औपधिया हैं इस लिये इसे अलग लिखा गया है। जैसे लोकरु में कहते हैं कि—“ गायेका समूह आया और साढ भी आ गया ” यद्यपि साढ भी गौ ही है गौ से भिन्न नहीं है फिर भी उसकी प्रधानता बताने के लिये जैसे लोकरुमें गौ से अलग साढका कथन क्रिया जाता है इसी तरह सचित्त पृथिवीकाय आदिकी अपेक्षा औपधियोकी प्रधानता बताने के लिये यहा अलग “अपकौपधिभक्षण” नामक अतिचार कहा गया है। सचित्त पृथिवी काय आदि पदार्थ उतनी मात्रा में खाने के काममें नहीं लिये

जाते हैं जितनी औषधियां ली जाती हैं अतः इसे पृथक् लिखना न्यायसङ्गत है।

(दुष्पञ्चौषधिभक्षण)

अग्नि आदि के द्वारा कुठ पकी हुई और कुठ कच्ची औषधियों को खाना “ दुष्पञ्चौषधिभक्षण ” कहलाता है। यह भी भूल से होने पर अतिचार है अन्यथा जान सूझकर करना अतिचार नहीं किन्तु अनाचार है।

(तुच्छौषधिभक्षण)

जिनको खाने से तृप्ति थोड़ी और विराधना अधिक होती है ऐसी मूँगकी फली आदि तुच्छ औषधियों को खाना ‘ तुच्छौषधिभक्षण ’ कहलाता है। यह भी अनाभोग आदि से किया हुआ अतिचार है अन्यथा अनाचार हो जाता है। यहाँ यह सन्देह होता है कि कच्ची मूँग आदिको फली आदि तुच्छ औषधियाँ भी अपक्व औषधियों में आ जाती हैं इस लिये तुच्छ औषधियों का भक्षण भी अपक्वौषधि भक्षण रूप अतिचार में ही आ जाता है फिर तुच्छौषधिभक्षण को, अपक्वौषधि भक्षण से अलग लिखने की क्या आवश्यकता है ?

इसका समाधान यह है कि—अपक्वौषधिभक्षण नामक अतिचार में जिन औषधियोंका ग्रहण किया गया है उन के खाने से यद्यपि विराधना अधिक होती है तथापि उन से तृप्ति भी पूरी होती है परन्तु तुच्छ औषधियों के खाने से विरा-

घना तो बहुत अधिक होती है और वृत्ति विलकुल थोड़ी होती है इस लिये तुच्छौपधिभक्षण को अपक्वौपधिभक्षण से अलग लिखा है।

अथवा जिन औपधियो के खाने से वृत्ति पूरी होती है उनको अचित्त बनाकर खाने से प्रतधारी श्रावकका व्रत मलीन नहीं होता है परन्तु तुच्छ औपधियो को अचित्त बनाकर लोलुपतावश खाने से भी श्रावकका व्रत दूषित हो जाता है अतः तुच्छ औपधियो को अचित्त बनाकर खाना भी प्रतधारी श्रावक के लिये उचित नहीं है यह बताने के लिये तुच्छौपधिभक्षण नामक अतिचार को अलग लिखा है। यद्यपि तुच्छ औपधियो को अचित्त बनाकर खाने से द्रव्य रूप विरति की रक्षा होती है तथापि इस से भावरूप विरतिका विनाश होता है इस लिये यह वर्जित है।

भोजन में उपभोग परिभोग व्रत और उस के अतिचार बतादिये गये अब कर्म से उपभोगपरिभोगव्रत और उनके अतिचार बताये जाते हैं

अपने उपभोग और परिभोग को उपार्जन करने के लिये अत्यन्त सावत्र कर्मोंका त्याग करके शेष कर्मोंका आश्रय लेना कर्म से उपभोगपरिभोगप्रमाण व्रत कह्यता है। इस व्रत के १५ अतिचार होते हैं जैसे कि—(१) इगाग्ग्म्म, (२) वणग्ग्म्म (३) साडीग्ग्म्म, (४) भाडीग्ग्म्म (५) फोडीग्ग्म्म,

(१) मन्तवाणिज्ज (७) लम्बवाणिज्ज (८) रसवाणिज्ज (९) कंसवाणिज्ज (१०) विसवाणिज्ज (११) जतपीलणकम्म (१२) निट्ठउनकम्म (१३) दवग्गिदावणया (१४) सरदहवग्गसोसणया (१५) असईपोसणया ।

कर्म से उपभोग परिभोग प्रमाण त्रत के ये १५ अतिचार हैं, ये कर्मादान कहे जाते हैं ।

(१) (डगालकर्म) लकड़ी जलाकर कोयला बना बनाकर बेचना 'डगालकम्म' कहलाता है । इस कार्य से उः काय के जीवोंकी हिंसा अधिक और लाभ थोड़ा होता है इस लिये यह कार्य बुरा है ।

(२) (वनकर्म) जंगल खरीद कर और उस को कटवा कर लकड़ी बेचने का धन्धा करना 'वनकर्म' कहलाता है । इस में हिंसा बहुत अधिक होती है इस लिये यह कार्य श्रावक के त्रत को दूषित करनेवाला है ।

(३) (शाकटिक कर्म) (साडीकम्म) भाड़ा लेकर गाड़ी चलानेका रोजगार करना शाकटिक कर्म, या साडीकम्म कहा जाता है । इस में पशुओंका वन्य पथ और जीव हिंसा आदि पाप अधिक होता है इस लिये यह कार्य श्रावक के त्रतको मलीन करनेवाला है ।

(४) (भाटीकम्म) अपने पशु आदि के द्वारा दूसरेका माल असचाव आदि ढोलाकर भाड़ा कमाना (भाटीकर्म) कह-

लाता है। अपने माल असवात्र को दूसरे को भाड़ा देकर उरु के द्वारा कहीं रखवाना भाडीकर्म नहीं है।

(५) (फोडीकम्म) हल या कुदाल आदि के द्वारा पृथिवीको फोडकर मिट्टी पत्थर आदि को बेंचनेका धन्धा करना 'फोडीकर्म' कहलाता है। अथवा भाड़ा लेकर हल कुदाल आदि के द्वारा दूसरे की पृथिवी को खोदना फोडीकम्म कहलाता है।

(६) (दन्तवाणिज्य) दोतो को खरीदने और बेंचनेका व्यापार करना 'दन्तवाणिज्य' कहलाता है। हरिभद्रसूरिजीने इसका खुलासा इस प्रकार किया है—पशुओंको दाँत के लिये घात करनेवाले हिंसकोंको यदि पहले ही दाँतोंकी कीमत दे कर यह कहा जाय कि—“मुझको अमुक दिन इतने दाँतोंकी आवश्यकता है” तो वे उस दिन उतने दाँत देने के लिये शीघ्र ही जङ्गली हाथी आदि पशुओंका घात कर डालते हैं इस लिये पहले ही दातोकी कीमत पशु हिंसकोंको दे कर उन के द्वारा किसी नियत तिथिपर दात ले कर विक्री करना दन्तवाणिज्य कर्मरूप कमादान है। परन्तु पहले ही दातोकी कीमत न देकर मिरात आदि पशु घातको के पास पड़े हुए पहले के दातो को खरीदना और उन्हें बेंचना दन्तवाणिज्यरूप कमादान नहीं है। अतएव टीकाकारने कहा है कि—“पूर्वानीत क्रीणाति” अर्थात् पहले के पड़े हुए दातो को खरीदना और बेंचना कमादान नहीं है।

(६) (लाक्षावाणिज्य) चपडा खरीदना और बेंचना 'लाक्षावाणिज्य' कहलाता है।

चपडों जीव बहुत अधिक होते हैं अतः पहलेही चपडेकी मर दे देनेपर उन जीवोंका शीघ्रही वध हो जाता है इसलिये यह कार्य श्रावकोंके मतको दूषित करनेवाला है। परन्तु पहले सेही तैयार किये हुए चपडेको खरीदना और बेंचना लाक्षावाणिज्य रूप अतिचार नहीं है।

(७) (रसवाणिज्य) मद्य खरीदना और बेंचना रसवाणिज्य कहलाता है। मद्यपानसे मरण, कलह, और वध आदि अनेकों अनर्थ उत्पन्न होते हैं इसलिये इसका क्रय विक्रय श्रावकोंके मतको दूषित करनेवाला है।

(८) (विपवाणिज्य) जिसके खानेसे या सूँघनेसे प्राणिप्राणी मृत्यु हो जाती है ऐसे सँजिया आदि विषोंका क्रय विक्रय करना विपवाणिज्य कहलाता है। इस धन्यासे अनेको प्राणियोंका घात हो जाता है इसलिये यह कर्म श्रावकोंके लिये रजित है।

(९) (केशवाणिज्य) सुन्दर केशवाली दामियोंको खरीद कर अधिक मूल्यसे दूसरे देशमें बेंचनेका व्यापार करना केशवाणिज्य कहलाता है। इस कार्यसे विचारी दामिया विदेशोंमें जाकर परतंत्रतारूप घेडीमें फसकर बहुत दुःख भोगती हैं इस लिये यह कर्म बहुत निन्दित है।

(११) (यन्त्रपीडनकर्म) ईख और तिल आदिको यन्त्रोंके द्वारा पीडन करनेका व्यापार करना यन्त्रपीडनकर्म कहलाता है। इस कार्यसे भी अनेको प्राणियोकी हिंसा होती है इसलिये यह कर्म वर्जित है।

(१२) (निर्लाच्छनकर्म) बैल, भैंसा ऊँट और बकरा आदि प्राणियोको बधिया करना 'निर्लाच्छनकर्म' कहलाता है।

(१३) (दावाग्निदापनताकर्म) क्षेत्रकी उपजाऊ शक्तिकी वृद्धि करनेके लिये अथवा पृथिवीको साफ करनेके लिये दावाग्नि लगादेना 'दावाग्निदापनता' कर्म है। इस कार्यसे अनेको प्राणियोकी हिंसा होती है इसलिये यह कार्य निन्दित है।

(१४) (सरोहृदतडागपरिशोषणताकर्म) क्षेत्र बनाकर उसमें धान्य आदि उत्पन्न करनेके लिये तालाब और पोखरा आदिको शोषण करना 'सरोहृदतडागपरिशोषणता' कर्म है।

(१५) (असतीपोषणताकर्म) दुराचारिणी कुलटा, और वेश्या आदि असती स्त्रियोका पालन करके भाडे पर उनके द्वारा व्यभिचार करानेका धन्धा करना 'असतीपोषणता कर्म' है ये ऊपर लिखे हुए १५ अतिचार कर्मादान कहलाते हैं। इन्हें श्रावक न स्वयं करे और न दूसरेके द्वारा करावे और न करनेवालेको अच्छा माने। इन कर्मादानोंके सम्बन्धमें भगवती सूत्रमें यह पाठ आया है कि—“जे इमे समणो वासगा भवंति तेसिं नो कप्पति इमाइ पणरसकम्मादाणाइ सय करेत्तएवा कारवेत्तएवा अण्ण समणुजाणेत्तएवा”

इति । अर्थात् भ्रमणोपामरु इन कर्मादानोको स्वयं न करे और दूसरेसे न करावे तथा करनेवाले को अच्छा न जाने कोई मर्घ्यादा रखकर कर्मादानोके सेवनका आदेश करते हैं परन्तु यह उनका अज्ञान है क्योंकि मर्घ्यादा रखकर अतिचारोके सेवनका कहीं भी विधान नहीं है किन्तु सर्वथा अतिचारोके त्यागका ही शास्त्र उपदेश करना है । ये कर्मादान ज्ञानावरणीय आदि उत्कट कर्मबन्धके कारण हैं इसलिये ये कर्मादान कहलाते हैं ।

अतिचारोंके साथ समय व्रत समाप्त हुआ ।

(आठवाँ व्रत अनर्थदण्डवर्जन)

अपने क्षेत्र, गृह, धन, शरीर, और कुल परिवार तथा दासी दास आदिके लिये जो कार्य किये जाते हैं उनमें अनेको प्राणियोका दण्ड होता है वह दण्ड प्रयोजनवश क्रिया जाता है इसलिये उसे अर्थदण्ड कहते हैं परन्तु प्रयोजन न होते हुए भी निरर्थक प्राणियोको दण्ड देना अनर्थदण्ड कहलाता है । जैसे हर्षित होकर वृक्ष आदिके ऊपर कुठारका प्रहार करना तथा कीड़े मकोड़े आदि प्राणियोको निरर्थक बुर करना या सँताना अनर्थदण्ड कहलाता है इस अनर्थदण्डको सर्वथा त्याग देना 'अनर्थदण्डवर्जनव्रत' कहलाता है ।

(अनर्थदण्डके चार भेद)

(१) अपध्यानाचरित (२) प्रमादाचरित (३) हिंसाप्रदान
(४) पापकर्मोपदेश ।

(१) आर्त तथा रौद्रध्यानके वशमें होकर विना प्रयोजन किसी प्राणीको दण्ड देना (अपध्यानाचरित' कहलाता है।

(२) प्रयोजनके विना प्रमादवश बुरी कथा वार्ता आदि कहना तथा तेल और पानीके पात्रोंको विना ढके रखना 'प्रमादाचरित' कहलाता है।

(३) हिंसाके साधन तलवार रूछीं आदि शस्त्रोंको विना प्रयोजन किसीको देना 'हिंसापदान' कहलाता है।

(४) विना प्रयोजन किसीको पापकर्मका उपदेश करना, जैसेकि—“तुम क्षेत्रको जोतो और बड्डेको दमन करो इत्यादि” पापकर्मोपदेश कहलाता है। इन चारोही अनर्थदण्डोका त्याग करना अनर्थदण्डवर्जनव्रतका स्वरूप है।

(अनर्थदण्डवर्जन व्रतके पाँच अतिचार)

(१) कन्दर्प (२) कौकूच्य (३) मौखर्य्य (४) सयुक्ताधिकरण (५) उपभोगपरिभोगातिरेक।

(१) कामवासनाकी प्रबलतासे, मोहके उत्पादक हास्य-युक्त व्यङ्ग्यामथित शब्द किसीको कहना 'कन्दर्प' कहलाता है। यदि सरलचित्तसे चित्तविनोदके लिये हास्य उत्पादक शब्दोका प्रयोग क्रियाजाय तो वह अतिचार नहीं है।

(२) आग्व, नाक, मुख, भ्रूकुटि आदि अपने अङ्गोंको विकृत करके भाँड चिदूपक आदिकी तरह हास्य उत्पन्न करना 'कौकूच्य' कहलाता है।

(३) बिना अवसर धृष्टतापूर्वक असत्य भाषण करना 'मौखर्ग्य' है ।

पूर्वोक्त वन्दर्प नामक अतिचार, प्रमादाचरित अनर्थ-दण्डविरमण व्रतका अतिचार है । जिस श्रावकने प्रमादाचरित अनर्थदण्डका त्याग क्रिया है वह यदि भूलसे कामाग्रिका उत्तेजक हास्यजनक शब्दोका प्रयोग करे अथवा ऐसे शब्दके प्रयोगमें उसका अतिक्रम व्यतिक्रम और अतिचार हो जाय तो उसके उक्त व्रतमें अतिचार (दोष) उत्पन्न होता है परन्तु सरल चित्तसे चित्तविनोदार्थ हास्यजनक शब्दोका प्रयोग करना अतिचार नहीं है ।

कौरुच्य नामक अतिचार भी प्रमादाचरित अनर्थदण्ड विरमण व्रतका ही अतिचार है । यह भी बिना प्रयोजन क्रिया हुआ ही अतिचार माना जाता है परन्तु प्रयोजन वश इसे करना अतिचार नहा है । 'मौखर्ग्य' नामक अतिचार प्रमादाचरित अनर्थदण्ड विरमण, तथा पापकर्मोपदेश विरमण, इन दोनों व्रतोंका अतिचार है । यह भी भूलसे किया हुआ तथा अतिक्रम व्यतिक्रम और अतिचार हो जाने पर ही अतिचार माना जाता है परन्तु जान बूझकर करना नहीं क्योंकि जान बूझकर मौखर्ग्यका सेवन करना अनाचार माना जाता है ।

(४) बिना प्रयोजन लोठी शिष्टा और ओखल मुशल आदि कटने तथा पीमनेके साधनोंको सङ्ग्रह करना सयुक्ताधि-

व्रण कहलाता है। यह हिंसा मदान विरमण व्रतका अतिचार है। जिस श्रावकने विना प्रयोजन क्रिमीको तत्वार और वच्छों आदि शस्त्रोंको न देनेका व्रत धारण किया है वह यदि विना प्रयोजन हिंसाके साधन छोटी शिछा आदि वस्तुओंको सङ्ग्रह करे तो उसके व्रतमें दोष उत्पन्न होता है अतः यह कार्य अतिचार माना जाता है।

(५) (उपभोगपरिभोगातिरेक) जितने अन्न जल और वस्त्र आदिसे अपना तथा अपने सम्बन्धियोंका निर्वाह हो जाय उससे अधिक अन्न जल आदिका उपयोग करना 'उपभोग परिभोगातिरेक' कहलाता है। जैसे पेट भरा रहने पर भी लोलुपतावश फिर भोजन करना तथा एकवार स्नान करनेसे शरीरकी स्वच्छता हो जाने पर भी फिर स्नान करना उपभोग परिभोगातिरेक है। यह प्रमादाचरित अनर्थदण्ड विरमण व्रतका अतिचार है। जिस श्रावकने प्रमादाचरित अनर्थदण्डका त्याग किया है वह यदि भूलसे विना प्रयोजन जलादिवायोकी हिंसा करे तो उसके उक्त व्रतमें अतिचार उत्पन्न होता है। परन्तु प्रयोजनवश जलादि वायोमें उक्त श्रावककी मृत्ति अतिचार नहीं है क्योंकि उसने अनर्थ दण्डकाही त्याग किया है अर्थ दण्डका नहीं।

(अतिचार सहित आठवाँ व्रत समाप्त)

अब शिक्षाव्रतका वर्णन किया जाता है

शिक्षाव्रतके चार भेद होते हैं । (१) सामायक व्रत (२) देशावकाशिक व्रत (३) पोषधोषवास (४) अतिथिसविभाग ।

(१) जो पुरुष रागद्वेषको त्याग कर समस्त जीवोंको अपने समान देखता है उसको नये नये ज्ञान दर्शन और चारित्रिके पर्यायोंकी प्राप्ति होती है । ज्ञान दर्शन और चारित्रिके पर्याय, चिन्तामणि और कल्पवृक्षसे भी अधिक जीवोंको सुख उत्पन्न करते हैं अतः समस्त जीवोंको आत्मन्वरूप देखने रूप समताकी प्राप्तिके लिये श्रावक जो अनुष्ठान या क्रिया करता है उसको 'सामायक व्रत' कहते हैं ।

समस्त प्राणियोंको आत्मतुल्य दर्शनरूप समताकी प्राप्तिके लिये सावध योगोंका त्याग और निरवध योगोंका सेवन करना आवश्यक है । पापको उत्पन्न करनेवाले कायिक वाचिक और मानसिक व्यापारोंको निषेध समसत्कर रोकना 'सावध-योगवर्जन' है और दोषरहित होकर शुद्ध क्रियाओंका सेवन करना निरवधयोगपरिसेवन कहलाता है । समताकी प्राप्तिके लिये इन दोनों कार्योंकी समानरूपसे आवश्यकता होती है इस लिये सावध योगोंके त्यागके समान ही निरवध योगोंके अनुष्ठानका ध्यान रखना भी व्रतधारी का कर्तव्य समझना चाहिये ।

(सामायक करनेकी विधि)

साधुओंके निकट, अपने घर पर, शौचव शालामें उद्यान-

गृहमें अथवा जिस किसी निर्विकार स्थानमें व्यापाररहित और स्थिरचित्त होकर श्रावकोको सामायक व्रतका अनुष्ठान करना चाहिये। जो लोग साधुओंके निकट जाकर सामायक करते हैं वे साधुओंको मन वचन और कायसे नमस्कार करके सामायक करनेकी आज्ञा मांगें। साधुओंसे आज्ञा लेकर ऐर्यापथिक और कायोत्सर्गादि विधिका आचरण करके “करेमि भते। सामाइय, सावज्ज जोग पच्चक्खामि जाव नियम पज्जु-वासामि, दुविह विविहेण न करेमि, नकारवेमि मणसा वयसा कायसा तस्स भन्ते। पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि” इस पाठको पढ़कर जितने गृहूर्तकी इच्छा हो उतनेका सामायक स्वीकार करें। सामायक स्वीकार करके श्रावक मुनिको वन्दना करें और पाच मुमति तथा तीन गुप्तियोकी आराधना करते हुए मुनियोके समान व्यवहार करें। वे चउते समय ईर्ग्यासमिति और वोळते समय सावय भापाके त्यागका ध्यान रखें। एव तृण काष्ठ तथा अन्य किसी वस्तुका प्रयोजन उपस्थित होनेपर एषणा समितिसे परीक्षा करके उनका उपयोग करें। तथा वस्त्र और पात्र आदिका ग्रहण एव निक्षेप आदान और निक्षेप समितिके द्वारा करें। यदि उन सके तो सामायकके समय कफ आदिना त्याग न करें परन्तु कफ त्यागे बिना न बनता हो तो पाचवीं समितिके द्वारा स्थानको यत्न पूर्वक देखकर और प्रमार्जन करके कफका त्याग करें। सामायक करता हुआ श्रावक तीन गुप्तियोके द्वारा

अपने मन वचन और कायको स्थिर रखें। तथा स्वाध्याय ध्यान और साधुओंके साथ धार्मिक चर्चा करते हुए निर्मल सामायक पालनेकी चेष्टा करें। अपने सामायकको निर्मल बनानेके लिये निम्न लिखित बातोंसे वचना आवश्यक है।

जैसे कि-कोई कर्जा देनेवाला अपने रकम की तरादा करने वाला हो तो उसके भय से सामायक कर के बैठ जाना अथवा किसी के साथ विश्वासघात करने के लिये अथवा रोगी मनुष्यकी सेवा शूश्रूषा के भय से अथवा झगडा आदि से बचने के लिये सामायक का ढेग रचकर सामायक के आसनपर बैठ जाना ये सब बातें वर्जित हैं इस लिये इन बातोंको वर्जित करके श्रावको को निर्मल सामायकका पालन करना चाहिये।

सामायक करनेकी विधि बतादी गई अब यहा यह सन्देह होता है कि-श्रावक सामायक करते समय जब कि साधुओंके समान व्यवहार करता है तब वह तीन करण और तीन योगोंसे समस्त सावत्र कर्मोंका त्याग क्यों नहीं कर देता है ? तो इसका समाधान यह है कि-गृहस्थाश्रम के कार्योका निर्वाह करनेवाले श्रावको के लिये समस्त सावत्र कर्मों के अनुमोदनका त्याग सम्भव नहीं है इस लिये वे अनुमोदनको छोडकर दो करणों से समस्त सावत्र कर्मोंका त्याग करते हैं परन्तु साधु गृहस्थ नहीं हैं इस लिये वे अनुमोदन से भी समस्त

सावत्र व्यापारोका त्याग कर देते हैं। साधु और सामायक में बैठे हुए गृहस्थोका भेद भी इतना ही है परन्तु श्रावक सामायक के समय अधिक अश से साधु के समान हो जाता है इस लिये सामायक में स्थित श्रावकको साधु के समान कहा है। इस विषय में शास्त्रीय गाथा यह है—“सामाह्यमि कए समणो इव सावगो इवइ जम्हा। एएण कारणेण बहुसो सामाह्य बुज्जा। इसका अर्थ यह है कि—श्रावक सामायक करते समय साधु के समान होजाता है इस लिये श्रावक बहुत बार सामायक करे। इस गाथामें सामायकमें स्थित श्रावक को जो साधु ने समान कहा है उसका आशय यही है कि सामायक के समय श्रावक बहुत अश में साधु के समान हो जाता है परन्तु वह सत्रथा साधु ही हो जाता है यह भाव नहीं है वयो कि—ऐसा होनेपर साधु और श्रावकका भेद नहीं हो सक्ता है।

(सामायक व्रत के पाँच अतिचार)

(१) मनोदुष्प्रणिधान (२) वाग्दुष्प्रणिधान (३) कायदुष्प्रणिधान (४) सामायकस्मृत्यकरण (५) सामायकानवस्थितकरण। ये पांच सामायक व्रत के अतिचार हैं।

(१) सामायक करने समय सासारिक विषयोका मनसे चिन्तन करना 'मनोदुष्प्रणिधान' कहलाता है।

(२) सामायक के समय निष्ठुर और सावत्र भाषा बोलना वाग्दुष्प्रणिधान है।

(३) सामायक के समय रजोहरण आदि के द्वारा प्रमार्जित न की हुई तथा न देरी हुई पृथिवी में अपने हाथ पैर आदि अङ्गोंको रखना कायदुष्प्रणिधान कहलाता है।

(४) जिस घड़ी या पैला में सामायक ग्रहण किया हो उसे स्मरण न रखना सामायकस्मृत्यकरण कहलाता है।

(५) कभी करना और कभी न करना तथा अपेक्षा बुद्धिसे करना एवं सामयिकी अवधि पूर्ण हुए बिनाही बीचमें उठ जाना 'सामायकानवस्थितकरण' कहलाता है।

इन अतिचारोंमें मनोदुष्प्रणिधान वाग्दुष्प्रणिधान और कायदुष्प्रणिधान रूप अतिचार अनाभोग, अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार होनेसे होते हैं और पीठे के दो अधिक प्रमादके कारण उत्पन्न होते हैं।

(दशायाँ देशावकाशिक व्रत)

छठे व्रतके वर्णनमें दिग्व्रतका स्वरूप बताया गया है उस दिग्व्रतको संक्षेप करना देशावकाशिक व्रत है। जैसे किसी श्रावकने जीवनभरके लिये अथवा वर्ष और चातुर्मास्य भरके लिये चारो दिशाओंमें आने जाने के लिये एक हजार या पाँच सौ कोशकी मर्यादा नियत की है वह श्रावक एक दिन, एक महर या एक गृहूर्त के लिये अपनी उक्त मर्यादा के कोशोंको कम करदे तो यह देशावकाशिक व्रत है। इसी तरह स्पृष्टमाणातिपातविरमण आदि व्रतोंका भी दिन महर और

मुहूर्त आदिके प्रमाणसे संकोच करना देशावकाशिक व्रत है। जैसे जिस श्रावकने अपराधी प्राणीको न मारनेकी प्रतिज्ञा नहीं की है यदि वह एक दिन एक महर या एक मुहूर्त तक या इच्छानुसार वर्ष मासादि तक अपराधीको भी न मारनेकी प्रतिज्ञा करे तो यह देशावकाशिक व्रत है। यद्यपि मूल पाठमें दिग्ब्रतोंको संकोच करना देशावकाशिक व्रत कहा गया है तथापि समस्त अनुब्रतोंको संकोच करना देशावकाशिक व्रत समझना चाहिये क्योंकि मूलपाठ सभी व्रतोंके संकोचका उपलक्षण है।

(देशावकाशिक व्रतके पाँच अतिचार)

(१) आनयनप्रयोग (२) प्रेष्यबलप्रयोग (३) शब्दानुपात (४) रूपानुपात (५) बहिःपुद्गलप्रक्षेप। ये पाच देशावकाशिक व्रतके अतिचार हैं।

(१) व्रतधारी श्रावकने अपने आने जाने के लिये जितने कोश आदिकी मर्त्यादा नियत की है उससे बाहर के पदार्थोंको सन्देश भेजकर किसी के द्वारा मँगाना 'आनयनप्रयोग' कहलाता है।

(२) नियत की हुई मर्त्यादासे बाहरके कार्योंको नौकर आदि के द्वारा कराना प्रेष्यबल प्रयोग है।

(३) नियतकी हुई अवधि से बाहरका कार्य उपस्थित होने पर खाँसी या छींक के द्वारा अपने पहोशी आदिको

बोधित करके अपने कार्य के सम्बन्ध में पड़ोसी को सुनाकर कोई बात कहना 'शब्दानुपात' कहलाता है।

(४) नियत की हुई अवधिसे बाहरका कार्य उपस्थित होनेपर अपने कार्य की सिद्धि के लिये दूसरे को अपना शरीर आदि दिखाना 'रूपानुपात' है।

(५) नियत की हुई अवधिसे बाहरका कार्य उपस्थित होनेपर उसकी सिद्धि के लिये भाठा आदि फेंक कर दूसरे को अपना अभिप्राय समझाना 'बहिःपुद्गलप्रक्षेप' कहलाता है।

दशावकाशिक व्रतको स्वीकार करने का प्रयोजन यह है कि नियत अवधिसे बाहरके स्थानों में अपना आना जाना रूक जाय और आना जाना रूक जानेसे बाहरके जीवों की विराधना रूक जाय, परन्तु स्वयं न जाकर यदि दूसरे पुरुषको बाहर के स्थानों में श्रावक भेजे तो उसका उक्त उद्देश्य सफल नहा होता किन्तु वह व्यर्थ हो जाता है क्योंकि जो पुरुष श्रावक के द्वारा भेजा जाता है उस के द्वारा अवधिसे बाहरके जीवोंकी विराधना होही जाती है वह रूकती नहीं है बल्कि अपने जानेसे जितनी विराधना होती उससे अधिक अनिपुण पुरुष को भेजनेसे होती है, इससे अच्छा तो यही था कि दूसरे को न भेजकर स्वयं जाते क्योंकि स्वयं जाते तो देख भाल कर चलते, जिससे जीवोंकी विराधना कम होती

परन्तु दूसरे को भेजने से वह और अधिक हुई फिर देशावकाशिक व्रतको स्वीकार करने का प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ ? अतः यह कार्य बहुतही बुरा है।

आजकल बहुत से लोग दूसरों के द्वारा कार्य करानेमें अपने को पापसे बचा हुआ समझते हैं और कोई अल्प पाप लगना मानते हैं परन्तु यह उनकी भूल है क्योंकि अशुभकी पुरुष के द्वारा कार्य कराना अपने करने से अधिक पापका कारण होता है यह इस देशावकाशिक व्रत के अतिगरो से ज्ञात होता है अतः श्रावको को इस पर पूरा ध्यान रखना चाहिये।

(दशवाँ व्रत और उसके अतिचार कह गये ।)

(११ वाँ पौषधोपवास व्रत)

इस व्रतके शास्त्रमें दो भेद पाये जाते हैं एक पौषधव्रत और दूसरा पौषधोपवास व्रत। श्रावक के द्वारा अपने सहधर्मों भाईयोको दान, सम्मान और भोजन आदिसे सन्तुष्ट किया जाना पौषध व्रत है तथा अष्टमी चतुर्दशी, आमावास्या और पूर्णिमा आदि तिथियों में उपवास करना पौषधोपवास व्रत है। अथवा अष्टमी चतुर्दशी और अमावास्या आदि तिथियाँ धर्मको पुष्ट करनेवाली हैं इस लिये ये तिथियाँ पौषध कहलाती हैं इन तिथियों में दोषो को छोड़कर आहार परित्याग आदि गुणके साथ निवास करना 'पौषधोपवासव्रत' कहलाता है अतएव

शास्त्रके मर्मज्ञ विद्वानने कहा है कि “उपावृत्तस्य दोषेभ्यः सम्यग्वासो गुणैः सह । उपवासः स विज्ञेयो न शरीरविशोषणम्” अर्थात् दोषोको छोड़कर गुणो के साथ निवास करना उपवास कहलाता है परन्तु केवल शरीरको शोषण करना नहीं । इसका विवेचन भगवती सूत्र श १२ उ १ के मूल और टीकामें इस प्रकार पाया जाता है । टीका—“इह क्रिञ्च पौषध पर्वदिनानुष्ठान, तद्य द्वेषा इष्टजनभोजनदानादिरूप माहारपौषधरूपश्च । तत्र शखः इष्टजनभोजनदानरूप पौषध कर्तुं काम. सन् यदुक्तवास्तदर्शयतेदमुक्तम्” “तएणं अम्हे त विउल असणपाणखाइमसाइम आसाएमाणा विस्साएमाणा परिभाएमाणा परिभुजेमाणा पक्खिय पोसढ परिजागरमाणा विहरिस्सामि” । इसका अर्थ यह है—पर्व दिनमें क्रिया जानेराला शुभ अनुष्ठान पौषध कहलाता है यह दो तरहका है अपने सहधर्मों भाइयोको भोजन देना आदि पहला व्रत है और आहार आदिका त्याग करना दूसरा व्रत है । इनमें प्रथम व्रतको करनेकी इच्छासे जो शख श्रावकने कहा है उसे चताने के लिये शास्त्रकार लिखते हैं “तएण” इत्यादि । इसका अर्थ यह है कि—शख श्रावक अपने सहधर्मों भाइयोसे कहता है कि—इम विपुल अशन पान खात्र और स्वात्र पदार्थोको खाते पीते और परस्पर वाँटते हुए पक्खी पौषा करते हुए तथा धर्म जागरणा करते हुए निचरेगें । यह ११ वें व्रतके प्रथम भेदका स्वरूप है । दूसरेका स्वरूप ऊपर बताया है ।

(पौषधोपवास व्रतके चार भेद)

(१) आहारपौषध (२) शरीरसत्कारपौषध (३) ब्रह्मचर्यपौषध (४) अव्यापारपौषध । ये चार पौषधोपवास व्रतके भेद हैं, ये चारों दो दो प्रकारके होते हैं देशसे और सर्वसे । जो किसी एक अंशसे किया जाता है वह देशसे पौषधोपवास कहलाता है और जो सब अंशोंसे किया जाता है वह सर्वसे पौषधोपवास व्रत है । जैसे कि—

(१) आहार पौषध में घृत आदि विषयोक्त त्याग करना अथवा आयुर्विल आदि करना देशसे आहार पौषध है और एक दिन तथा एक रात तक चारों प्रकार के आहारोक्त त्याग करना सर्वसे आहार पौषध व्रत है ।

(२) स्नान, उबटन, तैलाभ्यङ्ग, चन्दनादि छेप, और गन्ध ताम्बूल आदि पदार्थों में से किसी एक या दोका त्याग करना देशसे 'शरीरसत्कारपौषध' है और एक दिन तथा एक रातके लिये इन सभी पदार्थोंका त्याग करना सर्वसे 'शरीरसत्कारपौषध' व्रत है ।

वीर्यरक्षणी रक्षा करना ब्रह्मचर्य कहलाता है । वीर्यरक्षणी रक्षा करने के लिये स्त्री आदि का दिनभर या रात भर के लिये त्याग करना देशसे 'ब्रह्मचर्यपौषध' है और एक दिन रात के लिये स्त्री आदि का त्याग करना सर्वसे ब्रह्मचर्य पौषध है ।

सावत्र व्यापारोक्त त्याग करना 'अव्यापार' पौषध कहलाता है । मैं अमुक व्यापार करूंगा और अमुक व्यापार न

करना" ऐसा नियम करके कुछ व्यापारोंको त्याग देना 'दश' से 'अव्यापार' पौषध है और हल, गाडी, तथा दूसरे सभी कार्यों को त्याग करना सर्वसे 'अव्यापार' पौषध है।

पूर्वोक्त चारों ही पौषधोपवासों का सर्वसे आचरण करना पूर्णपौषधोपवास समझा जाता है।

(पौषधोपवास व्रतके पाँच अतिचार)

- (१) अमत्युपेक्षितदुष्प्रत्युपेक्षितशय्यासंस्तार.
- (२) अममार्जितदुष्प्रमार्जितशय्यासंस्तार.
- (३) अमत्युपेक्षितदुष्प्रत्युपेक्षितउचारमस्रवणभूमि.
- (४) अममार्जितदुष्प्रमार्जितउचारमस्रवणभूमि ।
- (५) पौषधसम्यगननुपालन ।

ये पाँच पौषधोपवास व्रतके अतिचार हैं ।

(१) पौषधोपवास व्रतको ग्रहण करके अपनी शय्या और बैठनेके आसन कम्बल आदि को अच्छीतरह सावधानी के साथ देखलेना चाहिये जिससे किसी प्राणी की विराधना न हो, परन्तु ऐसा न करना यानी अपनी शय्या और कम्बल आदि आसनो को बलकुल न देखना अथवा चञ्चलतासे देखना 'अमत्युपेक्षितदुष्प्रत्युपेक्षितशय्यासंस्तार' कहलाता है ।

(२) अपनी शय्या या आसनको सर्वथा परिमार्जन न करना अथवा चञ्चलमनसे परिमार्जन करना 'अप्रमार्जितदुष्प्रमार्जितशय्यासस्तार' कहलाता है ।

(३) उच्चार, धूरु, और फफ आदि को जिस भूमिमें डाल उस भूमि को बिल्कुल न देखना या चञ्चलचित्त से देखना 'अप्रत्युपेक्षितदुष्प्रत्युपेक्षितउच्चारप्रस्रवणभूमि' कहलाता है ।

(४) उच्चार प्रस्रवण, कफ, धूरु, आदि को बिल्कुल प्रमार्जन न की हुई भूमिमें डालना, अथवा चञ्चल मनसे प्रमार्जन की हुई भूमि में डालना 'अप्रमार्जितदुष्प्रमार्जितउच्चारप्रस्रवणभूमि' नामक अनिचार है ।

(५) शास्त्रोक्त रीतिसे पौषध व्रतका पालन न करना तथा पौषध व्रतके समय आहार, शरीर सत्कार, अवल्ल और विविध सावध व्यापारोकी मन में इच्छा करना 'पौषधसम्यगननुपालन' कहलाता है ।

(अतिचारों के सहित ग्यारहवाँ व्रत समाप्त)

(बारहवाँ व्रत अतिथि सचिभाग)

भोजनके समय भोजनके लिये अपने घर पर आये हुए पुरुष अतिथि कहलाते हैं । उन अतिथियों को देने के लिये, शास्त्रोक्त उद्योग से अपने वर्णधर्मानुसार उपार्जन किये हुए और अतिथियों के कल्पके योग्य अन्न और पान आदि को

विभाग करना 'अतिथिसविभाग' व्रत कहलाता है। अतिथियोंमें गृहस्थोक्ता मुख्य अतिथि साधु होते हैं परन्तु गौण अतिथि दूसरेभी होते हैं।

(बारहवें व्रतके पाँच अतिचार)

(१) सचित्तनिक्षेपण (२) सचित्तपिधान (३) कालातिक्रम (४) परव्यपदेश (५) मात्सर्य। ये पाँच बारहवें व्रतके अतिचार होते हैं।

(१) जिसमें सचित्त अन्न गेहूँ चना आदि पडा हो ऐसे अचित्त अन्न को साधु लोग नहीं लेते हैं यह जानकर भी न देने की इच्छामें अचित्त पदार्थ में कपटपूर्वक सचित्त पदार्थ डाल देना 'सचित्तनिक्षेप' कहलाता है।

(२) साधुको न देनेकी इच्छासे कपटपूर्वक सचित्त फल आदिके द्वारा अचित्त पदार्थको ढक देना "सचित्तपिधान" कहलाता है।

(३) "साधुलोग मुझको भिक्षा देनेवाला समझें और अपना अन्नभी बचजाय" इस भावसे मेरित होकर साधुओंके भोजनकी बेलाको टालकर यानी साधुओंके भोजनकी बेलासे पहले या पीछे भिक्षा देनेके लिये तत्पर होना 'कालातिक्रम' कहलाता है।

(४) अपने अन्नको दूसरेका बताकर साधुके मनमें यह

भाव उत्पन्न करना कि—“यदि यह अन्न इसका होना तो यह अवश्य मुझको भिक्षा देता” ‘परव्यपदेश’ कहलाता है।

अथवा भिक्षा देते समय यह कहना कि—“इस भिक्षासे मेरी माताको पुण्य बन्ध हो” इत्यादि “परव्यपदेश” कहलाता है।

(५) किसीके साथ स्पर्धा करके साधुको भिक्षा देना जैसे कि—“अमुक व्यक्तिने साधुको अमुक वस्तु दी है तो मैं उससे कम नहीं दूँ इसलिये मैं भी साधुको अमुक वस्तु दूँगा” ऐसा विचार कर साधुको भिक्षा देना “मात्सर्य” नामक अतिचार है।

(बारह व्रत और उसके अतिचार कहे गये ।)

उपसंहार

इस जगत्में सम्यक्त्वरूपी रत्न बड़ा दुर्लभ है इसे भाग्यवान् इशारी प्राप्त करता है। पूर्वोक्त वारह व्रतोंका आधार सम्यक्त्व ही है, इसके बिना वारह व्रत बिना जडके वृक्षकी तरह क्षणभंगी नहीं ठहरते अतः वारह व्रत धारण करनेवाले श्रावकोंको पहले सम्यक्त्वरूपी रत्नको प्राप्त करना और उसे निरतिचार पालन करना आवश्यक है यह पहले कहा जा चुका है फिरभी सम्यक्त्वकी अत्यावश्यकता प्रकट करनेके लिये यहा भी कुछ लिखा जाता है। सम्यक्त्वको धारण और उसका पालन करनेके लिये उसका लक्षण जाननेकी आवश्यकता है अतः सम्यक्त्वका लक्षण लिखा जाता है—उमास्वातिने अपने तत्त्वार्थ सूत्र नामक ग्रन्थमें सम्यक्त्वका लक्षण यह लिखा है कि—

“प्रशमसवेगनिर्देदानुकम्पाऽऽस्तिक्याभिव्यक्तिलक्षण सम्यक्त्वम्” । इसका अर्थ यह है कि—रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द इन पांच इन्द्रियोंके भोगोंसे अलग रहना, तथा सत्कारको दुःखका कारण समझकर उससे डरना, पञ्च प्रत्युपकारकी इच्छाके बिना दुःखी प्राणियोंको दुःखसे मुक्त करनेका प्रयत्न करना, तथा शास्त्रोक्त आन्मादि पदार्थोंमें विश्वास रखना एव पुत्र, स्त्री, धन, और गृह आदिमें अत्यन्त प्रेम न रखना सम्यक्त्वके लक्षण हैं। इन पांच वस्तुओंमेंसे एक या अनेककी प्राप्ति होने पर सम्यक्त्वकी प्राप्ति समझनी चाहिये। जिस पुरुषने सम्यक्त्वकी प्राप्ति फरली है उसे सदा प्रमादहित होकर अतिचारोंका त्याग और जिनभाषित शास्त्रोंका साम्य

करना चाहिये। इस प्रकार शास्त्रानुसार धारह व्रतको पालन करते हुए श्रावकको यदि मरण समय निकटमें जानाव अथवा किसी उपसर्गकी प्राप्ति हो, तो सथारा और सलेखना धारण करना चाहिये। सथारा और सलेखनाके धारण करनेकी विधि शास्त्रमें यह लिखी है—

किसी प्रकारके उपसर्गकी प्राप्ति होनेपर श्रावक भूमिको प्रमार्जित करके उसके ऊपर पद्मादि आसनासे पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर बैठे। पश्चात् अरिहन्त, सिद्ध, और धर्माचार्य को नमस्कार करके अठारह पापाचार आठार और शरीर आदिमें ममता को आगार के साथ त्याग करे यदि वह उपसर्ग न टले तो जीवन पर्यन्त और टल जाय तो नहीं इस प्रकार शर्तके साथ प्रत्याख्यान करना आगार के साथ प्रत्याख्यान कहलाता है। इसी प्रत्याख्यानको 'सागारिक अनशन' कहते हैं। यह प्रत्याख्यान उपसर्गकी प्राप्तिके समय किया जाता है। परन्तु मरणकाल उपस्थित होनेपर आगाररहित प्रत्याख्यान इस प्रकार रताया गया है—

जो श्रावक जीवनभरके लिये आगाररहित अनशन व्रत धारण करना चाहता है उसको पहले अपने शरीरको तथा कपायोको जघन्य छ. मास तक और उत्कृष्ट धारह वर्षतक सलेखनाके द्वारा दुर्बल करना चाहिये। इसके पश्चात् पौष-शाला अथवा किसी उद्यानगृह आदि एकान्त स्थानमें जाकर उस स्थानको विधिपूर्वक प्रतिलेखन और प्रमार्जन करके उसके ऊपर दर्भ आदिके आसनको बिठाकर पूर्वाभिमुख या उत्तरा-

भिन्न होकर पद्मासन आदि आसनेसे बैठकर अरिहन्त, सिद्ध और आचार्योंको नमस्कार करके चार प्रकारके आहार तथा अण्ड मकारके पापको तीन कारण और तीन योगसे न्यारयान करना चाहिये ।

प्रत्याख्यान करनेके पश्चात् स्यारा संलेखनाके पाँच अतिचारोंको वर्जित करते हुए समाधिपूर्वक अपने शेष कालको व्यतीत करना चाहिये ।

(स्यारा संलेखनाके पाँच अतिचार)

(१) इहलोकाशसाप्रयोग (२) परलोकाशसाप्रयोग (३) जीविताशसाप्रयोग (४) मरणाशसाप्रयोग (५) भोगाशसाप्रयोग ।

(१) मरनेके पश्चात् इस लोकमें फिर जन्म लेकर राजा, राजमन्त्री, श्रेष्ठ और साहूकार आदि बननेकी कामना करना 'इहलोकाशसाप्रयोग' कहलाता है ।

(२) मरनेके पश्चात् अपनी तपस्याके प्रभावसे इन्द्रादि देव होनेकी कामना करना 'परलोकाशसाप्रयोग' कहलाता है ।

(३) स्यारा लेनेके पश्चात् दूमरे लोगोके द्वारा अपनी पूजा प्रतिष्ठाको देखकर पूजा प्रतिष्ठा पानेके लिये अधिक दिन तक जीनेकी इच्छा करना 'जीविताशसाप्रयोग' कहलाता है ।

(४) स्यारा लेनेके पश्चात् अपनी पूजा प्रतिष्ठा न देखकर शीघ्र मरजानेकी इच्छा करना 'मरणाशसाप्रयोग' कहलाता है ।

(५) मरनेके पश्चात् फिर जन्म लेकर चक्रवर्ती आदिके भोगोकी इच्छा करना 'भोगाशसाप्रयोग' कहलाता है ।

नोट्स

आमको के चारह व्रत -

- 1 स्तूलप्राणातिपातविरमण - स्तूल प्राणियों की हिंसा का त्याग करना
- 2 स्तूलमृषावादानिरमण - स्तूल वस्तु के विषय में दुष्ट अभ्यवसाय से श्रुतीभंगना
- 3 अस्त्रदाननिरमण - वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना उसकी वस्तु को न लेना
- 4 परदारविरमण - परस्त्री गमन न करना और अपनी विकारितादृष्टी में संतोष रखना
- 5 इच्छापरिमाण व्रत - सचेतन और अचेतन वस्तुओं के परिग्रह की सीमा निर्धारित करना
- 6 दिग्ब्रत - किसी भी दिशा में जाने, आने या किसी को भेजने में दूरी संबंधी मर्यादा बनाना
- 7 उपभोगपरिभोग व्रत

नोट्स

